छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

रायपुर

प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग के गठन 18 जनवरी 2007 से जुलाई 2008 तक

सी-21, रविनगर, कलेक्टोरेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.)

पिछड़े वर्गों की राष्ट्रीय सूची में छत्तीसगढ़ की जातियों को शामिल करने हेतु
आयोजित राज्य स्तरीय जन सुनवाई

छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल श्री नरसिम्हन जी को पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु
ज्ञापन सौपते आयोग की टीम

मंत्रालय
रायपुर , छत्तीसगढ़
MANTRALAYA
RAIPUR, CHHATTISGARH
Ph.: (O) 0771-2221000-01
Fax : 0771-2221306
Ph.: (R) 0771-2331000-01
899/S/CM/PRO/U/M30/09/2008

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुचारू ढंग से कर रहा है तथा अब तक के कामकाज का लेखा-जोखा वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा है। यह प्रतिवेदन आयोग के कामकाज का दर्पण साबित होगा और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों की सही तस्वीर पेश करेगा।

इस आयोग का गठन पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक कदम उठाने और पहल करने के उद्देश्य से किया गया है। आयोग अपने इस लक्ष्य की ओर अग्रसर है। आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप हमारी सरकार पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

प्रतिवेदन की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

रमन सिंह
मुख्य मंत्री

गणेश राम भगत
मंत्री
अ.जा.ज.जा., पिछड़ा वर्ग,
अल्पसंख्यक
विकास, आवास एवं पर्यावरण
छत्तीसगढ़ शासन

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जा रहा है। उक्त प्रकाशित प्रतिवेदन में राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिये चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं समाहित होंगी, जो नई पीढ़ी को दिशा देने वाली होंगी।

वार्षिक प्रतिवेदन के सफल प्रकाशन हेतु अशेष शुभकामनाएं.....

गणेशराम भगत

आभार

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर के सुगम और सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए समय-समय पर उपलब्ध कराए गये कार्मिकों तथा वित्तीय व्यवस्था के लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन का हृदय से आभारी हूं।

मैं छत्तीसगढ़ की समस्त जनता का हृदय से आभारी हूं, जिसने इस आयोग को निरंतर शिकायत / सुझाव प्रेषित कर आयोग की कार्य प्रणाली में विश्वास व्यक्त किया है। मैं छत्तीसगढ़ के समस्त जिलाधिकारियों/ पुलिस अधीक्षकों / विभागाध्यक्षों का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आयोग में दर्ज शिकायतों के निराकरण में सहयोग प्रदान किया है। मैं आयोग के माननीय सदस्य श्री लोचन पटेल, डॉ. गणेश कौशिक, श्री प्रहलाद रजक, श्री देवेन्द्र जायसवाल, डॉ. सोमनाथ यादव, श्री नंदकुमार साहू और सचिव श्री बद्रीश सुखदेवे के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिनके निरंतर सहयोग, मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा के कारण आयोग के कार्यों का निष्पादन सुचारू रूप से हुआ और यह वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जा सका।

आयोग की अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता डेकाटे, निज सचिव श्री शत्रुहन लाल साहू, श्री उत्तरा पटेल तथा स्टॉफ के अन्य लोगों का भी सहयोग प्रतिवेदन के प्रकाशन में मिला है। मैं इन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं।

नारायण चंदेल
अध्यक्ष

सदस्य
छत्तीसगढ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

संदेश

विगत 14 फरवरी 2007 से जब से मैंने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए आयोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना कार्य भार ग्रहण किया है, तब से मैंने निरंतर पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रमुखों एवं सामान्य लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास किया है और करता रहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ विभिन्न जिलों का प्रवास के साथ ही मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग के मंत्री एवं वहां के अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्षों, सदस्यों से चर्चा करके पिछड़े वर्ग के लोगों को बेहतर सुविधा देने हेतु प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, चांपा जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, रायपुर जिलों का दौरा कर पिछड़े वर्ग के हित प्रहरी के रूप में आयोग के कार्यों में गति लाने का प्रयास कियां है। मेरे द्वारा विशेष रूप से फूलमाली, गंगमाली, पन्हारामाली, कोईरी, वन माली, कोसरिया मरार, भोयरा मरार, हरदिया मरार, माली, मौर्य, साहू, कुर्मी, लोधी, धोबी, नाई, पटवा, पनिका, लोहार, महार, यादव, ठेठवार, राऊत, देवांगन, मानिकपुरी, बरई (तम्बोली), तमेर, कसेर आदि समाज के प्रदेश जिला एवं तहसील स्तर के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों, तहसीलों एवं कस्बों में उन समाजों का छोटे बड़े सम्मेलन में उपस्थित होकर आयोग के उद्देश्यों की जानकारी लगातार दी जा रही है। शाकम्भरी महोत्सव, कर्मा उत्सव, परमेश्वरी जयंती, डॉ. खूबचंद बघेल जयंती, सहस्त्र बाहू जयंती, कबीर जयंती में सम्मिलित होकर समाज को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का सविस्तार जानकारी दी है और निरंतर देने का प्रयास किया जा रहा है।

आयोग ने अनेक जाति समूहों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने हेतु सुनवाई की है, जिसमें 4 जातियों को शामिल करने हेतु शासन से अनुशंसा की गई है, साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के छत्तीसगढ़ आगमन पर 27% आरक्षण एवं क्रीमीलेयर की सीमा रेखा में वृद्धि एवं विधानसभा में भी इन वर्गों को आरक्षण देने के मुद्दों को उठाया है।

इन सबका सम्मिलित प्रयास है कि पिछड़े वर्गों का विकास हो और शासन द्वारा चलाये जाने वाली योजनाओं का भरपूर फायदा यह वर्ग उठाये।

प्रतिवेदन के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ।

लोचन पटेल

सदस्य
छत्तीसगढ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

संदेश

आयोग अपनी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने जा रहा है। इस रिपोर्ट से लोगों को आयोग के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी और वे अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे तथा उनका उचित इस्तेमाल कर सकेंगे।

आयोग ने अपने अब तक के प्रयासों और क्रियाकलापों को इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट बहुत उपयोगी सिद्ध होगी एवं आयोग के संक्षिप्त कार्यकाल की सही तस्वीर पेश करेगी और उसके भावी कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

पिछड़े लोग जागें, अपने अधिकारों को पहचानें तथा हर क्षेत्र में आगे बढ़ें,।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ...

डॉ. गणेश सिंह कौशिक

प्रहलाद रजक (धोबी)

सदस्य

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

कार्या.: 21, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे,
रायपुर (छ.ग.)
निवास : ग्राम- बेमेतरा, पो. कोबिया चौक,
तह.- बेमेतरा, जि. दुर्ग (छ.ग.)
फोन : 0771-2420352 / 2420341 (कार्या.)
मोबा. : 94241-08942ए 99269-19190

अ.शास. पत्र क्र. ....

रायपुर, दिनांक ....

संदेश

छ.ग. राज्य के गठन के उपरांत छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग का गठन एक सराहनीय कदम है। राज्य में आधी से ज्यादा जनसंख्या लगभग 52% अन्य पिछड़ा वर्ग की है। अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 91 जातियां, छ.ग. के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत है। इनके शैक्षणिक, सामाजिक , सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से पहचान करने के लिए आयोग कार्यरत है। इनकी विशिष्ट भाषा, बोली एवं अत्यधिक सहज- सरलयुक्त जीवन विकास के प्रगति पथ पर पिछड़ा है। इसके लिये शासन ने आर्थिक , सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर प्रगति एवं अधिकारों के संरक्षण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखकर विस्तृत प्रयास किये हैं।

शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनायी गई हैं। जिन्हें जन-जन तक पहुंचाने के लिए छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हित प्रहरी के रूप में स्वतंत्र संस्था की तरह कार्य कर रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं हित संवर्धन तथा अनेक मूलभूत समस्याओं के निराकरण यह प्रतिवेदन एवं सुझाव उपयोगी होंगे। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति मिलेगी।

आशा है कि राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की विविधता एवं बहुलता के बावजूद इनकी प्रमुख समस्याओं को ध्यान में रखकर आयोग के कार्य, सुझाव एवं प्रयास पिछड़े वर्ग के हितों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

शुभकामना सहित

प्रहलाद रजक (धोबी)
सदस्य
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

सदस्य
छत्तीसगढ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अन्य पिछड़ा वर्ग का हित संरक्षण तथा विकासात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। छत्तीसगढ़ में आयोग मध्य प्रदेश के 1995 अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम के अनुसार कार्यरत है। आयोग का अधिनियम 1995 के अंतर्गत 20 धाराओं में विभाजित कर प्रशासनिक व्यवस्था एवंनियंत्रण के प्रावधान किये गये है, जिसमें आयोग की धारा 9 एवं 10 के तहत संविधान के अधीन तथा तत्संयम प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन पिछड़े वर्गों के संरक्षक एवं हित प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

बोली, भाषा, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विविधता के आधार पर सम्पूर्ण छ.ग. की कुल 91 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है। इन जातियों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन/ अनुसंधान कर प्रतिवेदन और सुझाव विभाग को भेजे जाने से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गतिशीलता है।

आयोग के सदस्य के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के उचित संवर्धन, संरक्षण एवं उनके विकास तथा समस्याओं का निराकरण करके अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंचा सकूंगा ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।

देवेन्द्र जायसवाल

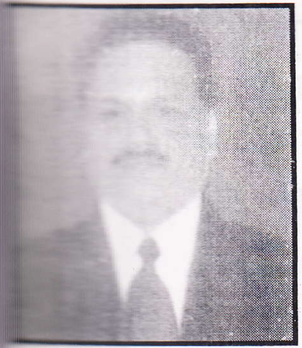

प्रमुख सचिव
आ.जा. अ.जा. पिछड़ा वर्ग एवं
अल्प संख्यक कल्याण विभाग
रायपुर (छ.ग.)

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर ने अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, तथा प्रथम वर्ष के कार्यों के संबंध में अपना प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने जा रहा है।

मुझे आशा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कार्य करने तथा उनके हितों की रक्षा करने में सदैव हितप्रहरी के रूप में तत्परतापूर्वक कार्य करता रहेगा।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ...

एम.के. राउत

छत्तीसगढ़ शासन

आयुक्त
आ.जा. अ.जा. पिछड़ा वर्ग एवं
अल्प संख्यक कल्याण विभाग
रायपुर (छ.ग.)

संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् नवगठित राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग के एक वर्ष के कार्यकाल की पूर्णता पर आपके द्वारा प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं।

मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस प्रतिवेदन में छ.ग. राज्य के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित सभी जातियों के हितार्थ आयोग द्वारा प्रारंभ किये गये विभिन्न प्रयासों का सकारात्मक विश्लेषण उपलब्ध होगा।

आपके इस रचनात्मक प्रयास हेतु मेरी बधाई स्वीकार करें।

मनोज कुमार पिंगुआ
आयुक्त

विषय - सूची

क.	अध्याय / विषय	पृष्ठ कमांक
	प्राक्कथन	14
1.	पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन	15
2.	क्यों जरुरी है पिछड़ा वर्ग आयोग	16
3.	अधिनियम की धारा (9) 1 के तहत पिछड़े वर्गों के हितार्थ दिये गये सुझाव/अनुशंसाएं	17–22
	(I) छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं हेतु प्री. मैट्रिक/पो. मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना बाबत् सुझाव	
	(II) छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को अनु. जाति, जनजाति के समान शैक्षणिक सुविधाऐं प्रदान करने संबंधी अनुशंसाएँ	
	(III) पिछड़ा वर्ग विकास कोष की स्थापना	
	(IV) पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना बाबत अनुशंसा	
	(V) जिला मुख्यालय में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	
	(VI) विभाग के नाम में पिछड़ा वर्ग का उल्लेख बाबत् सुझाव	
	(VII) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पालकों की आय सीमा में वृद्धि हेतु सुझाव	
	(VIII) आवास आवंटन में आरक्षण	
	(XI) क्रीमीलेयर में आय सीमा वृद्धि हेतु सुझाव	
4.	अधिनियम की धारा (9) घ के तहत प्रदेश की जातियों को सूची में शामिल करने का सुझाव	23–31
	(I) गबेल	
	(II) नाथयोगी	
	(III) गड़ेरी	
	(IV) कसेर	
5.	अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आयोग का वित्तीय लेखा–जोखा	32–35
6.	शिकायतों पर सुनवाई	36–37
7.	आयोग के द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य	38–39
8.	आयोग को प्राप्त शिकायतों/ आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही	40–41

9.	जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शासन के निर्देश	42-43
10.	कीमीलेयर बाबत शासन के निर्देश	44-48
11.	आयोग की बैठकें	51-65
12.	पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिनियम	66-75
13.	राज्य शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची	76-87
14.	छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनाएं	88-90
15.	छत्तीसगढ में पिछड़े वर्गों के सर्वेक्षण के लिए उठाये गये कदम	91-92
	माननीय सदस्यों के विचार एवं अनुभव	
16.	डॉ. सोमनाथ यादव	93-95
17.	देवेन्द्र जायसवाल की कलम से	96-97
18.	मुझे भी कुछ कहना है – डॉ. गणेश कौशिक	98-99
19.	कुछ इस तरह अनुभव किया मैंने – नंद कुमार साहू	100-101
20.	अपनी भागीदारी और मेरी जिम्मेदारी –प्रहलाद रजक	102
21.	राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का छत्तीसगढ में कार्य	103

प्राक्कथन

छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.09.02 को अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वैधानिक गठन दिनांक 23.01.2007 को किया गया इस प्रकार आयोग बनने के उपरान्त आयोग का यह प्रथम प्रतिवेदन है, जो जनवरी 2007 से जुलाई 2008 तक के कार्यों से संबंधित है। आयोग को अपना यह प्रथम प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है। आयोग राज्य शासन के प्रति अत्यंत आभारी है कि आयोग में पूर्ण कालिक सचिव की पदस्थापना कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आयोग अब तक के कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है।

आयोग अपने प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन–वर्ष 2007–08 में अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राज्य शासन से आयोग की अनुशंसाओं पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा करता है।

आयोग ने वर्ष 2007–08 में अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान प्रदेश के पिछड़े वर्गों की समस्याओं का अध्ययन किया है। जन प्रतिनिधियों, राज्य शासन के योजना क्रियान्वयन अधिकारियों तथा अन्य बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा की है। इन चर्चाओं में जो तथ्य सामने आये हैं, उन्हीं के आधार पर आयोग का यह प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। आयोग ने प्रतिवेदन अवधि में प्रदेश की 10 जातियों को पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने संबंधी आवेदन–पत्रों का परीक्षण किया है, जिसका विस्तृत उल्लेख अगले अध्यायों में किया गया है।

अधिनियम की धारा (9) 1 ख के तहत छ.ग. में पिछड़े वर्गों के हितार्थ आयोग की ओर से शासन को सुझाव दिए जा रहे हैं । उनमें शिक्षा के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी गई है क्योंकि पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास की भावनाएं संविधान में समाहित हैं अतः छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं हेतु प्री. मैट्रिक/पो. मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना, छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को अनु. जाति, जनजाति के समान शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को अनु. जाति, जनजाति के समकक्ष छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्रदान करने के बारे में, पिछड़ा वर्ग विकास कोष की स्थापना, जिला मुख्यालय में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पालकों की आय सीमा में वृद्धि, आवास आवंटन में आरक्षण एवं क्रीमीलेयर आदि के संबंध में सुझाव प्रमुख हैं इसी प्रकार आयोग ने पिछड़े वर्गों की जातियों को सूची में शामिल करने बाबत् अनुशंसा की है इसमें कुछ मात्रात्मक त्रुटियों के कारण पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल नहीं थे। इन त्रुटियों को सुधार किये जाने हेतु आयोग ने उचित समझा है ।

आयोग राज्य शासन से अपेक्षा करता है कि इस प्रतिवेदन के माध्यम से समय–समय पर पिछड़े वर्गों के हितार्थ, आयोग ने जो अनुशंसाएं राज्य शासन को प्रेषित की हैं, उन पर शासन गम्भीरता पूर्वक विचार करेगा व शीघ्र निर्णय लेकर आयोग को तथा छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्गों के लोगों को अनुग्रहीत करेगा।

सधन्यवाद

भवदीय

नारायण चंदेल

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

रायपुर छ.ग.

अध्याय -1

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

19 अगस्त, 1980 को केन्द्र सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) ने अविभाजित मध्यप्रदेश के पिछड़े वर्ग की दशा का अध्ययन करने के लिए दौरा किया था। आयोग के अध्यक्ष बी.पी. मंडल ने प्रदेश की अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अलावा शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की दशा अत्यन्त दयनीय है। देश की अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने-अपने प्रदेश के पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा कल्याण का कार्य काफी पहले प्रारंभ कर दिया है, किन्तु प्रदेश में अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने आश्वासन दिया कि मध्यप्रदेश में भी पिछड़े वर्ग की दशा सुधारने हेतु तत्काल कदम उठाये जायेंगे। 1980 में ही विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में प्रदेश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के उपाय सुझाने हेतु एक समिति श्री रामजी महाजन, विधायक की अध्यक्षता में गठित करने की घोषणा की गई। 5 सितम्बर 1980 को समिति के स्थान पर आयोग के गठन का आदेश दिया गया। आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री रामजी महाजन जी थे। उनके अतिरिक्त नौ सदस्य भी बनाये गये। इस प्रकार म.प्र. में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है ।

1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य अस्तित्व में आया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह राज्य मध्यप्रदेश को बांटकर बनाया गया। श्री अजीत जोगी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। नवम्बर 2004 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव हुए और मान. डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। अन्य पिछड़ा वर्ग के हित संरक्षण हेतु डॉ. रमन सिंह ने अपने शासन काल के चौथे वर्ष जनवरी 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया।

नव सृजित छत्तीसगढ़ में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के पीछे शासन की भावना अन्य पिछड़ा वर्ग का उत्थान और कल्याण करने की थी। वर्तमान में आयोग इन्हीं उद्देश्यों को लेकर निरन्तर कार्यरत है। आयोग के गठन के बाद छत्तीसगढ राज्य विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नारायण चंदेल आयोग के प्रथम अध्यक्ष और श्री लोचन पटेल, सदस्य बनाए गए। 28 फरवरी 2008 को एक और शासनादेश जारी कर पांच और सदस्य बनाए गए। इनमें डॉ. गणेश सिंह कौशिक, श्री नन्द कुमार साहू, श्री देवेन्द्र जायसवाल, डॉ. सोमनाथ यादव और श्री प्रहलाद रजक शामिल हैं। इस प्रकार कुल 7 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का छत्तीसगढ में गठन हुआ है ।

अध्याय -2

क्यों जरूरी है पिछड़ा वर्ग आयोग

सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से उपेक्षित और विकास की दौड़ में पिछड़ गऐ कमजोर लोगों के उत्थान तथा न्यायसम्मत, समतामूलक और बंधुत्वपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में विशेष प्रावधान किए। इसी कड़ी में कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित हैं – अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनके उत्थान तथा कल्याण के लिए जरूरी व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 340 (1) के तहत यह व्यवस्था की गई कि पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया जाए तथा राष्ट्रपति आयोग गठित करें और इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कदम उठाए जाएं।

इसी अनुच्छेद के तहत 21 जनवरी 1983 को प्रसिद्ध समाज सेवक काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने पूरे देश की लगभग 2300 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए सूची तैयार की। इस सिलसिले में अनेक राज्य सरकारों ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और आयोग की सिफारिशों के अनुरूप इस वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाए। इस प्रकार उन्हें शिक्षा में सुविधाएं और नौकरियों में आरक्षण देने की शुरूआत हुई।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के शैक्षणिक उत्थान के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे मेडिकल व इन्जीनियरिंग कालेजों आदि में सीटों के आरक्षण एवं शासकीय नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में की गई है। इस वर्ग के पारम्परिक व्यवसाय व धंधों को पुनर्जीवित करने हेतु आवश्यक उपाय भी किये गये हैं। वैसे यह वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक शोषण का शिकार रहा हैं तथा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन से अभी भी ग्रस्त है।

प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनता को उसका संवैधानिक अधिकार मिले तथा उसका उत्थान हो और वह भी राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो सके इन्हीं उद्देश्य को लेकर इस आयोग के गठन की आवश्यकता महसूस की गई। छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग के लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर अपने संवैधानिक तथा मानवीय कर्तव्य का पालन किया है ।

अध्याय -3

अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत पिछड़े वर्गों के हितार्थ दिये गये सुझाव / अनुशंसाएँ

1. छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पिछड़े वर्गो के छात्र/छात्राओं के लिए प्रीमैट्रिक/पो.मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना बाबत सुझाव

पिछड़े वर्गो के शैक्षणिक स्तर में सुधार/साक्षरता में वृद्धि हेतु जिस तरह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्री.मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों का संचालन किया जा रहा हैं, उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये भी ब्लाक/जिला मुख्यालय में प्री.मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोला जाना आवश्यक है। इस बाबत आयोग की बैठक दिनांक 26.06.07 में चर्चा कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ब्लाक/तहसील एवं जिला मुख्यालयों में प्री. मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास खोले जाएं।

छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक/तहसील/जिला मुख्यालय में छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता है। अतः पिछड़े वर्ग की जनसंख्या जहाँ-जहाँ ज्यादा है, वहाँ-वहाँ प्राथमिकता से छात्रावास खोलने पर जोर दिया गया। प्रदेश में इन स्थानों में प्राथमिकता से छात्रावास खोलने की अनुशंसा की गई हैः- 1 जांजगीर, 2. धमतरी, 3. राजनांदगांव, 4. कवर्धा 5. कांकेर, 6. महासमुंद 7. कोरबा 8. रायगढ़।

वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रम की स्थिति इस प्रकार है :-

क्र.	वर्ग	छात्रावास / आश्रम				स्वीकृत सीट्स
		प्री मैट्रिक	पो. मैट्रिक	आश्रम	योग	
1	ओ.बी.सी.	01	04	----	05	350

छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गो के लोग निवासरत हैं जिनके लिए मात्र 1 प्री. मैट्रिक एवं 4 पो. मैट्रिक छात्रावास हैं। पिछड़े वर्गो के जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए सभी तहसील/ब्लाक मुख्यालयों में बालक-बालिका प्री.मैट्रिक/पो.मैट्रिक छात्रावास की स्वीकृति नितांत आवश्यक है। जिला मुख्यालयों में पो. मैट्रिक छात्रावास बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक खोले जाने का सुझाव छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिया गया है।

2. छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को अनु.जाति, जनजाति के समान शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने संबंधी अनुशंसाएं :–

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी अ.जा./अ.ज.जा के विद्यार्थियों के समान सुविधाएं प्रदाय किये जाने का सुझाव निम्नानुसार है :–

(अ) सरस्वती सायकिल योजना :– इसके तहत अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को भी मुफ्त सायकिल प्रदान की जा रही है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आयोग के सुझाव के प्रति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की गई और योजना के तहत पिछड़े वर्गों की बालिकाओं को सायकिलें दी जा रही हैं। इस के लिए आयोग शासन को साधुवाद देता है।

(ब) जवाहर उत्कर्ष योजना :– यह योजना अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित है। मेघावी छात्रवृत्ति तथा जवाहर उत्कर्ष योजना में भी पिछड़े वर्ग के बच्चों को शामिल किये जाने की अनुशंसा की गई ताकि पिछड़े वर्गों के बच्चों को भी अनुसूचित जनजाति के बच्चों के समान लाभ मिल सकें।

(स) एयरहोस्टेज योजना :– अनुसूचित जनजाति की युवतियों के लिए एयरहोस्टेज प्रशिक्षण की योजना प्रारम्भ की गयी है अन्य पिछड़े वर्गों की 20 युवतियों के लिए भी एयरहोस्टेज प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ करने के संबंध में आयोग. द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई है।

(द) पिछड़े वर्ग की छात्राओं को अनु.जाति, जनजाति के समकक्ष छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की अनुशंसा

पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के समकक्ष छात्रवृत्ति/शिष्यावृत्ति दिये जाने हेतु आयोग की बैठक में अनुशंसा की गई।

वर्तमान में छात्रवृत्ति का वितरण इस प्रकार किया जाता है :–

क्रमांक	स्तर	अनु.जाति/अनु.जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अंतर राशि
1.	प्राथमिक	250 रू.	--	--
2.	माध्यमिक	300–400 रू.	150–225 रू.	150–175 रू.
3.	हाई स्कूल	400–500 रू.	225–300 रू.	175–200 रू.

इस तालिका को देखने से प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रही राशि का अंतर स्पष्ट है। यह अच्छी बात नहीं है। एक समान छात्रवृत्ति राशि का वितरण सभी वर्गों (अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) को किया जाना समानता की भावना के अनुरूप होगा। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का उत्साहवर्धन किया जावें ताकि अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिल सके और उन्हें विद्या अध्ययन में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

इस बाबत आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया है कि शासन इस पर तत्काल निर्णय लेकर पिछड़े वर्गों के लोगों के विकास की दिशा में शीघ्र कदम उठाए।

3. पिछड़ा वर्ग विकास कोष की स्थापना

पिछड़े वर्गो के लिये अभी कोई क्षेत्रीय विकास योजना संचालित नहीं है और न ही इसके लिये कोई निधि का निर्माण शासन ने किया है। क्षेत्रीय भ्रमण के समय पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु राशि की मांग करते हैं जिसकी पूर्ति धनाभाव के कारण संभव नहीं हैं । अतः पिछड़ा वर्ग विकास कोष की स्थापना की जानी चाहिए तथा उसका नियंत्रण पिछड़ा वर्ग आयोग के पास रखा जाना चाहिए। दिनांक 20.09.07 आयोग की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण कोष की स्थापना राज्य सरकार को करनी चाहिए जिसमें जनता की मांग के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान हो । इस कोष का उपयोग पिछड़े वर्गो के लोगों हेतु जो ग्राम स्तर पर निवासरत हैं , किया जावेगा। आयोग का मानना है कि ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है। ग्राम स्तर की सामाजिक बैठकों, त्यौहारों, एवं परिवार में विवाहोत्सव के आयोजन के लिए लोग दूसरों पर आश्रित होते हैं। इसी प्रकार मृत्यु संस्कार पर भोज आदि की व्यवस्था में भी दिक्कत होती है जिसकी पूर्ति के लिए वे जनप्रतिधियों से मांग करते हैं। लेकिन शासन स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं कर पाते हैं। अतः इस मद में एक करोड़ का बजट आबंटित कर आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को सहायता राशि स्वीकृत करने का अधिकार दिये जाने की अनुशंसा आयोग द्वारा की गई। जिसके स्थापित हो जाने पर विभिन्न पिछडे वर्गो के समाजों के लिए सामाजिक/सांस्कतिक कार्यों हेतु राशि प्रदान की जा सकती है ।

4. पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना बाबत अनुशंसा

वर्तमान में जिस प्रकार आदिवासी विकास प्राधिकरण बस्तर सरगुजा में संचालित है एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके द्वारा आदिवासी एवं अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए राशि दी जाती है । उसी प्रकार पिछड़े वर्गो के लिए भी छत्तीसगढ़ में एक प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए और उसकी अनुशंसा आयोग के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया, ताकि पिछड़े वर्गो का विकास हो सके ।

पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लिये तात्कालिक/स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आयोग के अनुशंसा / अनुमोदन के आधार पर कार्य स्वीकृत किया जा सकेगा, अतः पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के गठन हेतु सुझाव दिया जाता है ।

5. जिला मुख्यालय में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

अखिल भारतीय सेवाएं–परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना रायपुर में 19 जनवरी 1980 को की गई थी जिसमें अनु.जाति/अनु.जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये भी 30 सीटें आरक्षित थीं। अब रायपुर स्थित इस केन्द्र में संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु केवल अनु.जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों को ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये भी प्रशिक्षण में सीट आरक्षित करने हेतु शासन को विचार करना चाहिए। जिला मुख्यालयों में भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना होनी चाहिए। उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बिलासपुर एवं जगदलपुर के प्रशिक्षण केन्द्र में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए । पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में शासन को यह सुझाव देने का निर्णय लिया गया। आयोग का मानना है कि यह सुझाव अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के हित में अत्यंत आवश्यक है।

6. विभाग के नाम में पिछड़ा वर्ग का उल्लेख बाबत सुझाव

पिछड़ा वर्ग आयोग को चूंकि बजट आदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग से प्राप्त होता है। अतः पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास विभाग का पूरा नाम जिले के विभागीय बोर्ड में, संचालनालय के बोर्ड में एवं मंत्रालय के अभिलेखों में लिखे जाने का सुझाव दिया गया है। वर्तमान में विभाग का नाम आदिवासी विभाग विकास लिखा जाता है जबकि "अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विकास विभाग" एक ही विभाग में संचालित हैं।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश की व्यवस्था के अनुसार छत्तीसगढ़ में पृथक से पिछड़ा वर्ग संचालनालय खोले जाने का सुझाव दिया गया। अतः आयोग के द्वारा विभाग के नाम में अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक विकास विभाग का उल्लेख किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

7. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पालकों की आयसीमा में वृद्धि हेतु सुझाव

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय सीमा पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए रूपये पच्चीस हजार वार्षिक से बढ़ाकर रूपये एक लाख वार्षिक किये जाने की सिफारिश आयोग की बैठक दिनांक 20.09.07 में की गई एवं कार्यवाही हेतु विभाग प्रमुख, आदिम जाति विकास विभाग को सुझाव के रूप में प्रेषित की गई।

आयोग का मानना है चूंकि पालकों की आय सीमा वर्तमान में 25000 रूपये वार्षिक है। यह महंगाई एवं वेतनवृद्धि के कारण चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की वार्षिक आय से भी कम है। अतः 25000 रूपये वार्षिक आय की सीमा का कोई औचित्य नहीं है। इस बाबत आयोग में चर्चा करके सर्वसंम्मति से निर्णय लिया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आगे महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु प्रवेश लेते हैं उन्हें समान पाठ्यक्रमों में पोस्ट मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु उनके पालकों की आय सीमा को बढ़ाकर एक लाख रूपये किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। वर्तमान में 25000 रूपये वार्षिक आय सीमा होने के कारण हाईस्कूल के पश्चात मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से पिछडे वर्गों के अधिकांश बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः इस नियम पर तत्काल संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

8. आवास आबंटन में आरक्षण

पिछड़े वर्गों के लोगों को छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित आवासों में आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शहरी प्राधिकरणों द्वारा निर्मित मकानों में भी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के बारे में चर्चा हुई जिस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह विचार व्यक्त किया कि ग्रामीण आवासीय योजना की तरह शहरी विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की सहभागिता बढ़ाने हेतु आवास आबंटन में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही आवास योजनाओं में अनुदान प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर दिनांक 18.01.08 को आयोग की बैठक में निर्णय लिया गया।

बैठक में कहा गया कि शहरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के मकान बहुत कम हैं अतः उन्हें आवास आबंटन में आरक्षण प्रदान किए जाने बाबत नियम बनाए जाने चाहिए। इन नियमों में हाऊसिंग बोर्ड के साथ–साथ प्रायवेट बिल्डर्स द्वारा बनाए जाने वाले मकानों में भी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित कराए जाने का सुझाव आयोग द्वारा दिया गया।

9. क्रीमीलेयर में आय सीमा वृद्धि हेतु सुझाव

आयोग का मानना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर हेतु शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा रूपये दो लाख को बढ़ाया जाना निहायत जरूरी है। शासन द्वारा वेतन भत्ता बढ़ाए जाने के कारण क्रीमीलेयर के लिए निर्धारित आय सीमा अब प्रांसगिक नहीं रह गयी है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार तथा कई राज्य सरकारों ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर हेतु आय सीमा ढाई लाख रूपये तक निर्धारित कर दी है।

ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर निर्धारण हेतु आय सीमा तीन लाख किये जाने के लिए शासन को अनुशंसा भेजी गई।

बैठक कार्यवाही विवरण (दिनांक 20.09.07 को) आदिम जाति, अनु.जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास विभाग को भेजा गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली द्वारा राज्यों के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्षों एवं सचिवों की बैठक दिनांक 11.06.08 में क्रीमीलेयर की आय सीमा 2.50 से बढ़ाकर 5 लाख करने का सुझाव केन्द्र सरकार को दिया गया है ।

अध्याय -4

अधिनियम की धारा 9 (घ) के तहत प्रदेश की जातियों को सूची में शामिल करने का सुझाव

गबेल जाति को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

''गबेल'' जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए आयोग के समूह द्वारा दिनांक 24.03.08 को ग्राम–बुन्देली एवं पोता पो.–सक्ती, तह.–सक्ती, जिला–जॉजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में परीक्षण बाबत् समाज के सदस्यों से भेंट की गयी। जिसमे आधारभूत बिन्दु **निम्नानुसार हैं :–**

1. **<u>अध्ययन के उद्देश्य</u>:–''गबेल''** जाति को छत्तीसगढ़ राज्य की पिछड़ा वर्ग की **सूची में क्रमांक 39 में गवैल** (गमैल) के साथ शामिल कर उच्चारण एवं मात्रात्मक त्रुटि सुधार करने बाबत्। चूंकि गवेल मध्यप्रदेश की सूची में **अनुक्रमांक 39** पर शामिल है जबकि राजस्व अभिलेख मे गबेल लिखा गया है, अतः इसमें उच्चारण संबंधी त्रुटि का सुधार करना है।

2. **अध्ययन का क्षेत्रफल**:– जांजगीर जिले के सक्ती तहसील में ग्राम–तिऊर, पोता, बुंदेली, जांजगीर, खरसिया, तहसील एवं माल खरौदा तहसील का क्षेत्र भ्रमण किया गया।

3. **अध्ययन की विधि**:– प्रत्यक्ष भेंट कर रहन–सहन, रीति–रिवाज एवं खानपान संबंधी जानकारी प्राप्त करना । सामाजिक सम्मेलन में शामिल होकर उनके रीति–रिवाज का अध्ययन करना।

4. उत्पत्ति:– इस जाति की उत्पत्ति के बारे में जांजगीर जिले के सक्ती,मालखरौदा, डबरा तहसील के निवासरत व्यक्तियों ने बताया कि गबेल मुख्यतः राजा महाराजाओं के जमाने में कृषि मजदूर हुआ करते थे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिला–मिर्जापुर से छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश में विस्थापित हैं।

5. **निवास स्थान**:– जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, जॉजगीर, कोरबा, महासमुंद, दुर्ग जिलें में निवासरत कुल 50,000 जनसंख्या में लगभग 500–800 परिवारों का निवास है।

6. **व्यवसाय**:– कृषि एवं कृषि मजदूरी द्वारा आय उपार्जन, छोटे– छोटे धंधे, गाय–भैंस, पालन करने के साथ ही करते है उद्योगों में प्रमुख रूप से व्यवसाय के रूप में किराना दुकान व पान ठेला इत्यादि का कार्य करते है।

7. <u>गोत्रः</u>– इनमें गबेल सरनेम के रूप में लिखा जाता है, किन्तु गोत्र भिन्न-भिन्न होते है इनमें प्रमुख गोत्र गजमानिक, कौशिक, सुमेर, साण्डिक, गंगाजल प्रमुख है।

8. <u>विवाहः</u>– विवाह के समय पहल वर पक्ष के द्वारा की जाती है तथा वैवाहिक संबंध केवल गबेल से ही होता है तथा वैवाहिक संस्कार में ब्राम्हण की भूमिका प्रमुख होती है, अंर्तजातिय विवाह नहीं होता।

9 <u>शैक्षणिक स्थितिः</u>– शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है किन्तु हाई स्कूल व हायर सेकेन्ड्री तक की शिक्षा हेतु समाज में महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाने लगा है, शिक्षा प्राप्त कर ये कृषि आधारित कार्य ही करते है एवं मौसमी बेरोजगार व अर्ध बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त है।

10. <u>राजनैतिक स्थितिः</u>– ग्रामीण द्वारा बताये अनुसार इनकी जाति का राजनैतिक प्रतिनिधित्व 0 प्रतिशत है जनपद व ग्राम-पंचायत में 2-3 लोगों का प्रतिनिधित्व है, किंतु राजनैतिक इतिहास नगण्य है। विधान सभा संदस्य-1, जनपद अध्यक्ष-5, पार्षद-10 है।

11. <u>अन्य जातियों के सामाजिक संबंधः</u>– ब्राम्हण एवं पटेल, चंदनाहू के यहाँ कच्चा एवं पक्का भोजन स्वीकार करते है किन्तु राठौर के यहाँ केवल पक्का भोजन स्वीकार करते है, पटेल, चंद्रनाहू से कच्चा भोजन भी स्वीकार करते है, किन्तु विवाह केवल ''गबैल'' से ही होता है।

12. <u>अभिमतः</u>–

गबेल जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में छत्तीसगढ़ में क्र.39 पर कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुर्मवंषी, चंद्रकार, चंद्रकार, कुभी, गवैल (गमैल) के पश्चात् 'गबैल'' शब्द सिरवी के पूर्व जोड़ा जाना उचित होगा क्योंकि यह उच्चारण में मात्रा एवं शब्द का हल्का सा फर्क है।

13. निष्कर्ष :–

1. प्राप्त जानकारी एवं प्रदत्त आकड़ो के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इनकी कुल जनसंख्या 50,000 के लगभग की है।
2. ''गबेल'' जाति के लोग लगभग 80-90 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिले से विस्थापित समाज है। जो मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में निवास करते है।
3. इस जाति का मुख्य व्यवसाय कृषि व कृषि उपज पर आधारित व्यवसाय है।
4. इस जाति का रहन-सहन का स्तर छत्तीसगढ़ के गवैल/गमैल से मिलता जुलता है।

5. इस जाति के व्यक्ति प्रमुखतः जांजगीर व रायगढ़ जिलों में निवासरत है।
6. इस जाति के अधिकांश व्यक्तियों के मकान कच्चे है। तथा मकान सुविधा युक्त नहीं है अधिकांश घरों में शौचालय नहीं है। वे शौच बाहर जाते है।
7. इस जाति की उत्पत्ति का कोई लिखित साहित्य नहीं हैं।
8. इस जाति के लोगों का रंग सांवला व ऊंचाई औसतन 5'6'' (पुरूष) 5'4'' महिला की होती है।
9. इस समाज में एक व्यवसायिक पेशे से डॉक्टर है एवं एक लडकी ने अभी डॉ. की डिग्री प्राप्त की है।
10. राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व कम है इनकी जनसंख्या के अनुपात में छत्तीसगढ़ में 2.5 प्रतिशत से कम है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आयोग द्वारा गबेल जाति को छत्तीसगढ़ राज्य में गवैल शब्द के उच्चारण की त्रुटि के कारण इन्हें ''गबेल'' के नाम से राजस्व अभिलेखों में लिखा जाने लगा अतः छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ राज्य की सूची में अनुक्रमांक 39 में शामिल करने की अनुशंसा एतद् द्वारा की जाती है।

सचिव सदस्य सदस्य सदस्य

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर छ.ग.

नाथयोगी जाति के संबंध में अनुशंसा

जोगीनाथ छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की अनुसूची के अनुक्रमांक 30 पर शामिल एक धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति है जो छ.ग. राज्य के दुर्ग, कांकेर, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर, सरगुजा जिलों में निवासरत है। आवेदन पत्र के अध्ययन से स्पष्ट हुआ की नाथयोगी समाज के लोग नाथ जोगी की उपजाति के ही हैं। तथा उच्चारण की त्रुटिवश उन्हें नाथयोगी के बजाय नाथजोगी कहा जाने लगा तथा राजस्व अभिलेखों में भी इनकी जाति यही लिखी गई है। चूंकि नाथजोगी छ.ग. की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक 30 में शामिल है। किन्तु नाथयोगी शामिल नहीं अतः इन्हें शासन के प्रावधानों के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। जबकि समस्या मात्र बोलने में उच्चारण की त्रुटि की है। दिनांक 29.03.08 को विकास खण्ड बालोद, ग्राम कोहगाटोला के आस पास ग्रामों में रहने वाले नाथयोगी जाति से विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई जिसके मात्रात्मक त्रुटिवश नाथयोगी को जोगीनाथ के रूप में प्रचलन हो गया इनसे ग्रामवार, परम्परागत व्यवसाय तथा इसके माध्यम से सम्पूर्ण जानकारी ली गई जो निम्नानुसार है :–

1. उत्पत्ति	–	पूर्व 500 वर्ष से नाथयोगी छ.ग. राज्य में निवासरत है।
2. निवास स्थान	–	बालोद विकास खण्ड तथा आस पास के गांवों में तथा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में भी ये जातियां निवासरत हैं
3. रहन सहन तथा वेशभूषा	–	पुरूष सामान्य ब्राम्हाणों की तरह धोती कुर्ता तथा महिलाऐं छत्तीसगढ़ी महिलाओ की तरह साड़िया पहनती है।
4. शारीरिक बनावट	–	शरीर से सामान्यतः गठीले तथा बाल लम्बे होते है सिर पर चंदन लगाये होते हैं।
5. व्यवसाय	–	पूजापाठ / मंदिरों में (शिवमंदिरो) में पूजा पाठ का कार्य ही प्रमुख व्यवसाय है। वर्तमान में शिक्षा के स्तर में सुधार होने के कारण कुछ लोग शासकीय नौकरी, कुछ व्यक्ति कृषि, एवं मजदूरी कार्य कर रहे हैं।
6. जाति / उपजाति / गोत्र	–	इनकी मूल जाति नाथजोगी है उपजाति नाथयोगी, योगी, बाबा है। तथा ये बाबा, बैरागी, गौस्वामी, दास, पुरी, गिरी को सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अपने समकक्ष मानते है। योगी गोत्र लिखा जाता है।
7. शिक्षा	–	प्राथमिक एवं माध्यमिक, हायर सेकेण्डरी स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा में इनका प्रतिशत न्यून है। किन्तु साक्षरता 80% है।

8. सरकारी नौकरी/राजनैतिक दशा– नाथयोगी समाज के व्यक्ति प्रायः सामाजिक कार्यों में लगे हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कार्य मात्र व ग्राम पटेल सरपंच, पंच व पार्षद तक कुछ संख्या में करते है। सरकारी नौकरी में इनका प्रतिशत लगभग 12–15% है।

9. निवास – स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान में इस समाज के लोगो को नाथ जोगी के रूप में गुरू की पदवी दी जाती थी ये लोग तंत्र मंत्र, पूजा पाट द्वारा परिवार का भरण पोषण करते थे किन्तु स्वतंत्रता उपरांत भिक्षावृत्ति कम हो गई व समाज में इनकी स्थिति दयनीय हो गई ये लोग घास फूस से बनी झोपडियों में निवास करते थे तथा शाकाहारी भोजन ग्रहण करते थे। वर्तमान में कच्चे घरों में निवास करते है।

अनुशंसा :–

आयोग के सदस्यों के द्वारा क्षेत्र भ्रमण/अध्ययन व जनसुवाई हेतु बालोद, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव का दौरा किया जिसके आधार पर नाथ जोगी जाति की उप जाति के रूप में नाथ योगी जाति को शामिल किया जा सकता है। चूंकि उच्चारण के वर्तनी की त्रुटि से नाथयोगी को ही नाथजोगी कहा जाने लगा अतः इन्हे छ.ग. के पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु अनुशंसा की जाती है। तद्अनुसार नाथयोगी को अनुक्रमांक 30 पर नाथजोगी के उपरांत शामिल किया जावे।

अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सचिव

गड़ेरी को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

जिला सरगुजा के रामानुजगंज विकास खंड के निवासी श्री राजकिशोर पाल, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पाल महासंघ ने पाल (गड़ेरी) जाति को छत्तीसगढ़ राज्य के पिछड़ा वर्ग की सूची के **अनुक्रमांक – 23** में शामिल करने बाबत् आवेदन किया है। उन्होंने गड़रिया शब्द को दो बार लिखे जाने का उल्लेख करते हुए निवेदन किया है कि गड़ेरिया, गड़ेरी, गड़ेरिया एक ही जाति है। इस पत्र के आधार पर आयोग ने अम्बिकापुर, जिला सरगुजा का दौरा किया तथा गड़ेरी जाति के 200 व्यक्तियों के साथ जनसुनवाई की, जिसमें ये तथ्य स्पष्ट हुए :–

परिचय :– पाल, गड़ेरी (गड़ेरिया) की उपजाति है। इनका व्यवसाय भेड–बकरी पालन व कंबल बुनना है। इसकी अधिकांश जनसंख्या सरगुजा जिले के रामानुगंज विकास खण्ड में निवासरत है। इन्हें, इस जाति को लोगों को शासकीय सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। ये लोग मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड से प्रव्रजन कर छत्तीसगढ़ आए थे।

शिक्षा :– इनमें शिक्षा के प्रति कोई विशेष रूचि व जागरूकता नहीं है अधिकतर व्यक्ति अशिक्षित है। चूंकि भेड–बकरी पालना व कंबल बुनना इनका परम्रागत व्यवसाय है अतः इन्हें शिक्षा के अभाव में भी व्यवसाय संभालने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अतः इन लोगो ने शिक्षा को महत्व नहीं दिया है। मुश्किल से 15–16 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं।

परम्परागत व्यवसाय :–गड़ेरी जाति का परम्परागत व्यवसाय भेंड–बकरी पालन व कंबल बुनना है पैतृक व्यवसाय को नई पीढ़ी द्वारा सहज ही अपना लिया जाता है। इस कारण से इनकी प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्त कम होती है। परिवार की महिलायें भी इस व्यवसाय में सहयोग करती हैं।

रीति–रिवाज व संस्कारः–गड़ेरी जाति के रीति–रिवाज गड़रिया बघेले व धनगर से मिलते जुलते है तथा इनके वैवाहिक संबंध धनगर गड़रिया, निखर, ढेगर गोत्र के लोगों से होता है। विवाह इत्यादि संस्कारों में ब्राम्हण की आवश्यकता होती है। ये लोग यादव, गड़रिया, तेली, बढ़ई, लोहार, पाल, बघेल, धनगर, निखर इत्यादि जाति से कच्चा पक्का भोजन स्वीकार करते हैं। खैरवार के साथ केवल पानी ग्रहण करते हैं।

शासकीय नौकरी व राजनीतिः–इस समय कोई भी व्यक्ति उच्च पद पर या शासकीय नौकरी में नहीं है। चूंकि यह धुमक्कड़ जाति है, अतः इनका स्थायी निवास न होने से शिक्षा का औसत स्तर मुश्किल से 8 वीं है। राजनीति में भी इस समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लोग आज भी गांवों में साहूकार के ऋणी हैं।

निष्कर्ष:–

1. गड़ेरी जाति गड़रिया की उपजाति है।
2. गड़ेरी, गड़ेरिया, पाल जाति के अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित हैं।
3. गड़ेरी समाज में 12 प्रतिशत लोग ही शिक्षित है।
4. गड़ेरी समाज के लोग धनगर, गड़रिया, निखर व पाल लोगो से वैवाहिक संबंध करते हैं।
5. गड़ेरी समाज में विवाह इत्यादि संस्कारों हेतु ब्राम्हण की आवश्यकता होती है
6. गड़ेरी समाज से शासकीय नौकरी में प्रतिनिधित्व कम है एवं उच्च पदों पर कोई भी कार्यरत नहीं है। राजनैतिक क्षेत्र में भी इनका प्रतिनिधित्व शून्य है।
7. गड़ेरी समाज का परम्परागत व्यवसाय भेंड़ बकरी पालन एवं कंबल बुनना है।
8. गड़ेरी समाज की महिलायें परम्परागत व्यवसाय में अपना श्रमदान करती हैं।
9. गड़ेरी एक धुमक्कड़ जाति है। अतः ये लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

<u>अनुशंसा</u> :–

गड़ेरी जाति को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्र. 23 पर गड़रिया शब्द के साथ गड़ेरी, पाल, गड़ेरिया शब्द शामिल किये जाने हेतु आयोग सर्वसम्मति से अनुशंसा करता है।

सचिव सदस्य सदस्य सदस्य

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर छ.ग.

कसेर जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 17.06.08 को कसेर जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने बाबत् श्री लक्ष्मीनारायण कसेर का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। इस जाति के लोग सक्ती, जांजगीर–चांपा, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर क्षेत्रों में निवास करते है। इनका खान–पान, रहन–सहन, रीति–रिवाज व संस्कार आयोग की अनुसूची के अनुक्रमांक 36 पर इंगित कसेरा जाति की तरह ही है। इनकी शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नति अत्यंत न्यून है। राजनैतिक व शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व भी नगण्य है। ये कच्चे मकानों में निवास करते है एवं अत्यंत पिछड़े हुए हैं।

श्री वल्लभ प्रसाद कसेर, ग्राम कुसौर ने बताया कि उनकी जाति का कोई भी व्यक्ति शासकीय सेवा में भी नहीं हैं। 2 से 3 प्रतिशत लोग ही नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर 15 से 20 प्रतिशत ही है। इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। ये अपनी जीविका चलाने के लिए शासकीय सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं। सरपंच, जनपद अध्यक्ष आदि कोई भी नहीं है। इस जाति का संगठन भी नहीं है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में ही यह जाति प्रमुख रूप से निवासरत है। इनकी शादी जाति (कसेर) में ही होती है। ये लोग विश्वकर्मा, दुर्गा आदि देवताओं को मानते हैं। साथ ही अन्य देवी देवताओं को भी मानते है। ये लोग माली, कोयटा के यहॉ खाना खाते हैं। लोगो के पास एक या दो एकड़ तक ही जमीन हैं।

इन्हें शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं एवं शिक्षा/नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं।

श्री वल्लम ने बताया कि उन्हें पिछड़ा वर्ग की सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जानकारी नहीं हैं। कुसौर ब्लाक जिला रायगढ़ में इस जाति का बाहुल्य हैं। यह जाति सक्ती,दुर्ग, बिलासपुर, चांपा, अम्बिकापुर, बरापाली, में पाई जाती है। लोग मजदूरी करते हैं। वैसे पैतृक कार्य, पीतल, कांसा के बर्तन बनाना हैं। ये लोग मूलरूप से उडीसा के रहने वालें हैं। यह जाति उड़ीसा में पिछड़े वर्ग में शामिल है। इनका रोटी– बेटी का संबंध कंसारी जाति में है। इष्टदेव के रूप में जगन्नाथ एवं श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इस जाति का कोई भी व्यक्ति डाक्टर या इंजीनियर नहीं है। एक पार्षद सक्ती पालिका मे हैं। इस जाति को उड़ीसा में कंसारी, छत्तीसगढ़ में कसेर तथा दुर्ग, में कसेरा के नाम से जाना जाता हैं।

निष्कर्षः–

1. कसेर जाति सक्ती, जांजगीर–चांपा, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर के क्षेत्र में निवासरत है।
2. कसेर जाति का खान–पान, रहन–सहन, रीति–रिवाज व संस्कार, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुसूची के अनुक्रमांक 36 पर इंगित कसेरा जाति की तरह ही है।
3. कसेर जाति की शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नति अत्यंत न्यून है।
4. राजनैतिक व शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व भी नगण्य है।
5. कसेर जाति के लोग छ.ग. में विभिन्न जिलों में कच्चे मकानों में निवास करते हैं।
6. अनुक्रमांक 36 पर झारिया जाति के उपरान्त ''कसेर जाति'' को जोडने की अनुशंसा की जा रही है।

अनुशंसाः–

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कसेर जाति को "कसेरा" के समकक्ष मानते हुए पिछड़े वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 36 पर अंकित झारिया जाति के बाद "कसेर" जाति को जोड़ने हेतु अनुशंसा करता है। जिसमें कि ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बरकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, धड़वा, झारिया के उपरांत ''कसेर'' जाति को जोंडे जाने का सुझाव दिया जाता है।

सचिव सदस्य सदस्य सदस्य

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर छ.ग.

अध्याय -5

अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत आयोग का वित्तीय लेखा जोखा

आयोग के अधिनियम के अनुसार आयोग को प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आयोग का वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने का प्रावधान है जिसमें आयोग को प्राप्त समस्त प्राप्तियों तथा व्ययों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करना पड़ता है। चूंकि आयोग का वर्ष 2007-08 का प्रतिवेदन वर्ष 2008 में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आयोग का वार्षिक लेखा तैयार कर इस प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है :-

आयोग के वार्षिक लेखे के प्रस्तुतिकरण के लिए राज्य शासन ने निम्न नियम निर्धारत किये है :-

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयोग का वार्षिक लेखा विवरण सचिव या आयोग के ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा जैसा कि निमित्त सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जाय।
2. आयोग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमानित वार्षिक लेखा का विवरण सचिव द्वारा विभागाध्यक्ष को दिया जाएगा तथा विभागाध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को उस तारीख को प्रस्तुत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
3. आयोग, राज्य सरकार को उपगत व्यय की तिमाही पुनरीक्षण की प्रगति अग्रेषित करेगा और वित्तीय वर्ष के शेष भाग में संभावित उपगत व्यय की प्रगति राज्य सरकार द्वारा जब भी मांगी जाए अग्रेषित करेगा।
4. आयोग यह प्रमाणित करते हुए कि प्राप्त राशि का उपयोग निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया गया है, वार्षिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी देगा।
5. सचिव, आयोग के लेखे रखे जाने हेतु वित्तीय विवरण का मिलान और विवरण का पर्यवेक्षण करेगा ओर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लेखा बही, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज एवं कागजात जो आयोग के लेखे की परीक्षा के प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित है उस अधिकारी के निपटान के लिए प्रस्तुत कर दिए गए है।
6. आयोग का लेखा जिसमें आरम्भिक लेखा भी सम्मिलित है नियमों से संलग्न प्रारूप "अ" में इसके गठन की तारीख से रखा जायेगा।
7. अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा का वार्षिक विवरण सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अभिप्रमाणित किया जायेगा।
8. लेखा का वार्षिक विवरण जिस वर्ष के पश्चात् के 30 जून से पूर्व लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा और लेखा परीक्षा अधिकारी आयोग के लेखा की परीक्षा करेगा तथा राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार अनुमोदन के पश्चात् यह रिपोर्ट अनुपालन के लिए आयोग को भेजेगी।
9. लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग रिपोर्ट में बताई गई किसी त्रुटि या अनियमितता को तीन मास के भीतर निपटायेगा और उस पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट, राज्य सरकार तथा विभागाध्यक्ष को देगा।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य शासन का एक अंग है जो छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के अन्तर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्यरत है। आयुक्त आदिम जाति छत्तीसगढ़ के कार्यालय से आयोग संचालन के लिए प्रति वर्ष बजट धनराशि का आबंटन आयोग को किया जाता है। आयोग को अपने कार्य संचालन के लिए आयुक्त आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग से ही आवंटन प्राप्त होता है। आयोग को अन्य किसी स्त्रोत से धन राशि प्राप्त नहीं होती है।

सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग डी.के.एस. भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक 1560/07/25-2/आ.जा.का.वि. दिनांक 18.01.07 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। आयोग कार्यालय नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुसूचित जन जाति आयोग में 23.01.07 को कार्यभार ग्रहण किया गया छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय हेतु एक भवन कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर पर मासिक किराये पर रविनगर में लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक नवीन संस्था होने के कारण कार्यालयीन व्यवस्था करने में वित्तीय वर्ष के समाप्ति में आयुक्त आदिम जाति अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग से सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा। सर्वप्रथम दिनांक 20.03.07 को आयुक्त कार्यालय आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक पि.व. 70/07/22336-37, दिनांक 12.02.07 के अनुसार बजट का आहरण कर एस.बी.आई कचहरी शाखा रायपुर में 25 लाख रू. अनुदान के रूप में प्रदान किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :

प्रथम वित्तीय वर्ष 2006-07

वित्तीय वर्ष 2006-07 कार्यालयीन व्यवस्थाओं के तहत निम्नानुसार प्राप्त बजट का उपयोग किया गया :-

क्रमांक	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि
1	सत्कार भत्ता	40800.00
2.	कर्मचारी वेतन भत्ता	17992.00
3.	डाकतार	1000.00
4.	दूरभाष स्थापना फर्नीचर उपकरण	115862.00
5.	स्टेशनरी	18768.00
6.	अन्य आकस्मिक व्यय	84672.00
7.	किराया महसुल एवं वाहन किराया	70270.00
	31 मार्च 07 में कुल व्यय किया गया योग :-	**349364.00**
	शेष राषि :-	2150636.00

वित्तीय वर्ष 2007–08

इस वर्ष 2007–2008 में भी विगत वर्ष की भांति ही 25 लाख रुपय का ही पुनः प्रावधान किया गया तथा आयोग कार्यालय नया होने के कारण विभिन्न प्रकार की सामग्री फर्नीचर प्रचार–प्रसार आदि व्यय आयोग के द्वारा किया गया। प्राप्त बजट का निम्नानुसार उपयोग किया गया :–

क्रमांक	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि
1	वेतन	831828.00
2	चिकित्सा व्यय प्रति पूर्ति	29671.00
3	दैनिक वेतन भोगी	139919.00
4	यात्रा भत्ता	17844.00
5	कार्यालय व्यय	25283.00
6	डाकतार व्यय	2000.00
7	दूरभाष व्यय	56577.00
8	फर्नीचर एवं उपकरण	161697.00
9	पुस्तकें एवं नियमितकालिन पत्रिकाएं	7330.00
10	बिजली एवं जल प्रभार	22320.00
11	लेखन सामग्री एवं फार्म छपाई	55283.00
12	अन्य आकस्मिक व्यय	318062.00
13	पेट्रोल / वाहन / किराया / वाहन क्रय आदि	1171220.00
14	किराया महसुलकर	423456.00
15	प्रचार–प्रसार	659699.00
16	गैर कार्यालयीन फर्नीचर	14280.00
17	अन्य व्यय	17000.00
18	मशीन एवं उपकरण	111921.00
	31 मार्च 08 में कुल व्यय किया गया योग :–	4065390.00
	शेष राशि :–	585246.00

वित्तीय वर्ष 2008–09

विगत वर्षों की भांति वित्तीय वर्ष 2008–09 में भी 25 लाख ही बजट प्रावधान किया गया वित्तीय वर्ष 2007–08 के अंत में आयोग को सात सदस्यीय कर दिया गया था अतः गत वर्ष की शेष राशि 5,85,246.00 रू. से कार्य सुचारू रूप से चलता रहा फिर बजट 25 लाख रूपये मई में बजट प्राप्त हुआ। अतः माह जुलाई तक के किए गए व्यय निम्नानुसार है :–

क्रमांक	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि
1.	वेतन	752139.00
2.	दैनिक वेतन भोगी	242651.00
3.	यात्रा भत्ता	34598.00
4.	कार्यालय व्यय	30706.00
5.	डाकतार व्यय	2101.00
6.	दूरभाष व्यय	41072.00
7.	पुस्तकें एवं नियमितकालिन पत्रिकाएं	4574.00
8.	बिजली एवं जल प्रभार	6080.00
9.	लेखन सामग्री एवं फार्म छपाई	80243.00
10.	अन्य आकस्मिक व्यय	71113.00
11.	पेट्रोल/वाहन	158877.00
12.	किराया महसुलकर	52725.00
13.	प्रचार-प्रसार	180000.00
14.	अन्य व्यय	1984.00
15.	मशीन एवं उपकरण	35426.00
	31 जुलाई 09 में कुल व्यय किया गया योग :-	**1694289.00**

उल्लेखनीय है कि 2008-09 के प्रथम चार माह में प्रावधानित राशि 25 लाख रू. के अतिरिक्त शासन द्वारा आयोग को मान. सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप 50 लाख रू. अतिरिक्त कर प्रावधान रखा गया है। जिसका सदुपयोग 2008-09 के वित्तीय वर्ष के शेष माहों में माननीय आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों के वेतन भत्तों/निज सुविधाओं एवं आयोग के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार हेतु किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि छठवें वेतन मान को 36गढ़ में लागू करने माननीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि पेटोल के मूल्य वृद्धि एवं अन्य खर्चों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आयोग का बजट प्रावधान 2 करोड रू. वार्षिक किया जाना उचित होगा ।

अध्याय –6

शिकायतों पर सुनवाई

धारा 10 (1) के तहत आयोग द्वारा की गयी कार्यवाही :–

अधिनियम तहत निम्नानुसार प्राप्त प्रकरणों पर सुनवाई की गई :–

1. आयोग में दर्ज प्रकरण क्रमांक श्री रिखीराम वर्मा विरूद्ध तात्कालिक तहसीलदार भाठापारा के प्रकरण में कलेक्टर के माध्यम से सम्बन्धित तहसीलदार, पटवारी एवं अन्य अनावेदको को समन दिया गया है। तथा प्रकरण आयोग की जॉच प्रक्रिया में है। प्रकरण का सारांश यह है कि पिछड़े वर्ग के बुजुर्ग व्यक्ति को दलालों के द्वारा जमीन की खरीदी बिक्री में नियमों की अनदेखी की गई है ।

2. कु. सीमा साहू विरूद्ध जनपद पंचायत बागबाहारा के द्वारा की गयी शिकायत आयोग ने पंजीबद्ध की एवं नोटिस भेज कर तात्कालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मान. अध्यक्ष महोदय के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया । प्रकरण पर जनपद पंचायत में संबंधितों के पक्ष सुने गए एवं अंतिम कार्यवाही जारी है ।

3. श्री कार्तिक राम पटेल विरूद्ध कुल सचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रकरण में दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण में उपेक्षा के लिए कार्यवाही हेतु अनावेदक को समन दिया गया है।

4. जिला अंत्यावसायी विकास निगम द्वारा अ.पि.वर्ग ऋण वितरण में अनियमितता की शिकायत बाबत ।

   राजनांदगांव जिले के श्री शिवरतन सिन्हा, राजेंद्र देवांगन एवं अन्य ने वर्ष 2006–07 में अन्य पिछड़ा वर्ग को व्यवसाय हेतु प्रदान किये जाने वाले मध्यम ऋण में हुई अनियमितता की शिकायत आयोग को की, जिस पर मान. सदस्यों द्वारा गंभीरता से विचार करते हुए कार्यवाही हेतु लिखा गया । आयोग में उक्त संबंध में जिला अंत्यावसायी विकास निगम राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में श्री शिवरतन सिन्हा एवं राजेंद्र देवांगन को औपचारिकता पूरी होने के उपरांत ऋण वितरण हेतु स्वीकृति दिये जाने की बात स्वीकार की, एवं मुन्ना जायसवाल का स्थायी पता चिरमिरी होने के कारण आवेदन निरस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण की ।

5. डॉ. प्रवीण कुमार राय, अमरपुर पेंड्रा द्वारा आयोग के समक्ष शिकायत की गई कि भारत सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बोर, केसिंग एवं पौधा प्रशिक्षण एवं उद्यान कार्य में भारी अनियमितता की गई है । आयोग ने पिछड़े वर्गों के सजग हित प्रहरी के रुप में कार्यवाही करते हुए उद्यान विभाग के संबंधित अधिकारियों को समस्त अभिलेखों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा । अभिलेखों की जांच एवं प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है ।

6. नियमित नियुक्ति व वेतनमान बाबत ।

छ.ग. पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष हेमंत साहू दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा मई 2008 शिकायत की गयी थी कि विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन दर पर कार्यरत कर्मचारियों लगभग 80 कर्मचारी को 20 वर्षो की सेवा उपरांत भी नियमित नियुक्ति नहीं दी गयी जिस पर आयोग ने कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय में रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 211 पद के विरुद्ध नियमित किये जाने बाबत कुल सचिव को प्रकरण के संबंध में निर्देश दिया उक्त कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की अनुशंसा के परिपालन में कुल सचिव ने आयोग को दिसंबर 2008 तक उक्त कर्मचारियों को नियमित करने बाबत आश्वासन दिया तथा कार्यवाही जारी होने की सूचना दी है ।

अध्याय -7

आयोग के द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य

1. सम्मेलन :-

छ.ग. राज्य गठन के उपरांत छ.ग. राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जातियों को संगठित करने के उद्देश्य से ग्राम सॉकरदाहरा ब्लॉक डोंगरगांव जिला राजनांदगांव में पिछडे वर्गों का राज्य स्तरीय सम्मेलन दिनांक 18.01.08 को आयोजित किया गया था जहां मरार, फूलमाली, मंगमाली, पटेल, हरदिया मरार, कांछी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी, कोइरी, धनाय मंगई सोनकर माली, सैनी आदि समाज के अध्यक्ष, सचिव, तथा पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

उक्त सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. के अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री बाबूलाल कुशवाहा, अध्यक्ष छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय श्री नारायण चंदेल उपस्थित हुए सम्मेलन के माध्यम से छ.ग. राज्य पिछड़े वर्ग आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आयोग के गठन की जानकारी दी गयी। जिसे छ.ग. राज्य के पिछड़े वर्गों में जागरूकता आयी। साथ ही सूची के क्रं. 33 अ एवं 33 ब की जातियों को सामाजिक एकता के माध्यम से जोड़ने का प्रयास आयोग के सदस्य श्री लोचन पटेल के द्वारा किया गया।

2. चिकित्सा शिविर के माध्यम से प्रचार-प्रसार।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मान. अध्यक्ष/सदस्य द्वारा दिनांक 01.03.08 को निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन राजिम कुंभ मेला में किया गया एवं साथ में आयोग के पाम्प्लेट, ब्रोसर, कैलेण्डर आदि के द्वारा आयोग का प्रचार-प्रसार किया गया है।

3. जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन

पिछड़ा वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के सुचारु रुप से कियान्वयन को ध्यान में रखते हुए आयोग के द्वारा सरगुजा/कोरबा/कोरिया एवं रायगढ जिलों का भ्रमण कर कलेक्टर, एसपी तथा समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित करके पिछड़े वर्गों को लाभ दिलाने के लिए प्रेरित किया गया साथ ही क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों का निराकरण कराया गया जिलों में प्रेसवार्ता आयोजित करके लोगों की जागरुकता बढाई गई ।

4. भ्रमण अध्ययन कार्य

आयोग नया होने के कारण म.प्र. /भोपाल /उज्जैन /उ.प्र. /उत्तराखंड /झारखंड दिल्ली आदि राज्यों का भ्रमण अध्ययन करके माननीय अध्यक्ष सदस्यों द्वारा ओबीसी के हित हेतु सुझाव दिए गए ।

5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जन सुनवाई

पिछड़े वर्गों के हित संवर्धन के प्रयास हेतु गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा, छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की 25 विभिन्न जातियों को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने व समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 26.02.2008 को रायपुर (छ.ग.) में जन सुनवाई हेतु प्रवास किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिम श्री एस. रत्नावेल पंडियन, सदस्य सचिव श्री लक्ष्मीचंद व सदस्यगण डॉ. सुब्बा सोमू, श्री अब्दुल अली, श्रीराम अवधेश सिंह एवं अनुसंधान अधिकारी श्री एस.के. सिन्हा के छ.ग. प्रवास का सम्पूर्ण दायित्व छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने निर्वहन किया। जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से आयोग ने निम्नानुसार 25 जातियों से भेंट करने हेतु प्रवास किया था :-

1. बरगाही, बरगाह, राउत, गावरी, महकुल 2. असारा, 3. बैरागी 4. दवेज, 5. बारी, 6. थारवार, 7. जम्मालोण्धी, 8. कश्यप, निषाद, बाथम, 9. पंवार, 10. भोपा, मनभाव, 11. मीना (रावत), देशवाली, 12. गड़रिया, धारिया,दोशी, पाल, बघेले, 13. कोडर, 14. कोशकाटी, डुकार, लिगांयत, कोलनाती, 15. हंगालोहार, गरोला, लोहार, 16. छानी, सोनी, 17. जोशी, डाकोटा, डकोचा, 18. खतिया, 19. कुर्मवंश चंद्रकार चन्द्रनाहू, कुम्भी, गबैल, सिरवी, 20. डडसेना, 21. उसरेटे, 22. पनका, 23. नहल, 24. मौवार, 25. पिंजारा (हिन्दु)

रायपुर में मेडिकल कालेज सभागार में जन सुनवाई आयोजित करना छ.ग. राज्य के पिछड़े वर्गों के लगभग 500 समाज प्रमुखों को समाचार पत्रों के माध्यम से एवं पत्र भेज कर दूरभाष से सूचना भेज कर एकत्र करने एवं कार्यक्रम सफल बनाने में आयोग की विशेष भूमिका रही। तीन दिवसीय एन.सी.बी. सी. नई दिल्ली के छ.ग. प्रवास के दौरान अध्यक्ष/ सदस्यों की आवास, भोजन, वाहन व सुरक्षा की जिम्मेदारी के पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ, आयोग ने निम्नानुसार उल्लेखित जाति प्रमुखों के द्वारा एन.सी.बी.सी. के अध्यक्ष- सदस्यों के समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख भूमिका निर्वहन की :-

1- गबेल- जांजगीर , 2. चंद्रनाहू- रायपुर, 3. हिन्दु पिंजारा- धमतरी, 4. कसौधन वैश्य- कोरिया, 5. कलार(कल्वार) जाति, 6. केसरवानी वैश्य, 7. अग्निकुल क्षत्रिय- जांजगीय चांपा 8. गड़ेरी जाति- रायगढ़ 9. रौनियार जाति- रायगढ़, 10. जोगीनाथ- नाथयोगी, बालोद, 11. थनापति- महासमुंद, सरगुजा, 12. हलवाई- बेमेतरा, 13. वर्मा- बिलासपुर , 14. गुरिया जाति- 15. गुर्जर- सरगुजा, 16. कुशवाहा- सरगुजा, 17 देवांगन- रायपुर, 18. सुण्डी- जगदलपुर, 19. हरदिया पटेल- बिलासपुर, 20. रावत- अंबिकापुर, 21. गोपाल, 22. निर्मलकर समाज- रायपुर, 23. मलार जाति- जशपुर, 24. मौवार जाति- रायपुर, 25. कसेर- बिलासपुर, 26. फूलमाली- रायगढ़।

जन सुनवाई कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों का प्रतिनिधित्व संचालक आदिम जाति विकास विभाग, श्री एम.आर. ठाकुर, अपर संचालक, आदिम जाति विकास विभाग श्री एल.के. गुप्ता, संयुक्त संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान श्री टी.आर. वैष्णव सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग, रायपुर श्री ठाकुर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय श्री एल.के. मिश्रा जी ने किया जन सुनवाई कार्यक्रम को जनसंपर्क कार्यालय से श्री लहरे जी द्वारा व विभिन्न न्यूज चैनलों से एवं समाचारपत्र के माध्यम से प्रचार- प्रसार किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप जन सुनवाई में पूर्ण छ.ग. के अन्य पिछड़ा वर्ग समाज प्रमुखों ने भाग लिया। आयोग ने सभी आगंतुकों की आवास भोजन एवं सत्कार का कार्य भी निष्पादित किया। जिसके परिणाम स्वरूप आयोग का संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समाजों से संपर्क प्रगाढ़ हुआ एवं अधिकाधिक संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर आयोग में आने लगे हैं।

अध्याय -8

आयोग को प्राप्त शिकायतों / आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही

आयोग को प्राप्त शिकायतों एवं आवेदन पत्रों पर कार्यवाही निम्नानुसार की गई :-

1. जगरूप सिंह, एडवोकेट सिविल कोर्ट, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानी की शिकायत की गई जिसमें तहसीलदार द्वारा सा.प्र.वि. के आदेश को जानबुझकर अवहेलना की जा रही है, के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर आयोग द्वारा कलेक्टर कोरिया को पत्र लिखकर शासन आदेशों/निर्देशों का पालन करवाने का निर्देश दिया गया है।

2. श्री संजय कुमार गोराई नगर पालिका निगम चिरमिरी का आवेदन 16.06.08 को प्राप्त हुआ उक्त आवेदन पर आयोग द्वारा आयुक्त, नगर पालिका निगम चिरमिरी जिला कोरिया को पत्र लिखकर श्री गोराई विकलांग एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण के अंतर्गत आते हैं अतः दोनों प्रकार के नियमों के तहत् इन्हें मानवीय आधार पर कार्य में रखने के लिए अनुशंसा की गई है।

3. श्री शेषनारायण चंद्रवंशी महासचिव अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन रायपुर के द्वारा एक पत्र के माध्यम से सूचनार्थ जानकारी भेजी गयी थी जिसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान रायपुर द्वारा रिक्त 86 पदों की भर्ती में पिछड़े वर्गों के हित की उपेक्षा करने की शिकायत की गयी थी एवं भर्ती पर तत्काल रोक लगाने हेतु निवेदन किया था आयोग ने पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श कर राष्ट्रीय स्तर की संस्था एन.आई.टी. को नियुक्ति हेतु पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान एवं केंद्र सरकार के 200 बिन्दु रोस्टर का पालन करने हेतु निर्देशित किया ।

4. ग्राम केसरा तहसील पाटन जिला दुर्ग के एक अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक न्याय से पीड़ित व्यक्ति श्री गजानंद सिन्हा ने आयोग के समक्ष गुहार लगायी थी कि उसके जादू-टोना किये जाने का आरोप लगाकर गांव में सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया था एवं पौनी पसारी बंद कर दी गयी थी उसके मेडिकल स्टोर्स से ग्रामीण दवाईयां क्रय नहीं करते थे जिससे उसकी आर्थिक व्यवसाय गड़बड़ा रही थी । आयोग की टीम ने गांव में जाकर ग्रामीणों के मध्य सुलह समझौता कराया एवं उसे मार्मिक पीड़ा से मुक्ति दिलायी ।

5. आयोग को श्री बालमुकुन्द गजेन्द्र, नगरी, जिला धमतरी के द्वारा से शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके पाल्य दिव्य प्रकाश गजेन्द्र को रायपुर तकनीकी संस्थान (आर.आई.टी.) के प्रशासन द्वारा दबाब डाल कर ब्रांच परिवर्तन करायी गयी एवं साथ ही हुए प्रवेश निरस्त करने के उपरांत भी जमा शुल्क वापस नहीं लौटाया गया। इसी तारतम्य में एक और शिकायत कर्ता श्री पूरण सिंह पटेल ने भी अपने पुत्र की जमा फीस न लौटाये जाने की शिकायत आर.आई.टी. प्रशासन के विरूद्ध की जिस पर आयोग ने आर.आई.टी. प्रशासन से जवाब मांगा है, जांच की कार्यवाही जारी है।

6. श्री श्यामराव के कृषि बाडी विक्रय की अनुमति बाबत्।

दुर्ग जिले के ग्राम चिखलाकसा (उप तहसील दल्लीराजहरा) के निवासी 75 वर्षीय श्री श्यामराव आत्मज तुकाराम जी द्वारा आयोग को आवेदन देकर शिकायत की गयी थी कि विगत 1 वर्ष से अपनी ही कृषि- बाडी विक्रय हेतु अनुमति प्राप्त नहीं हो पा रही है। और चूंकि पिछड़ा वर्ग के बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल करने वाला (संरक्षक) कोई नहीं होने के कारण आयोग ने उनके आवेदन पर संरक्षक की भूमिका का निर्वहन किया।

7. पुनाधर साहू भृत्य संत्त राजाराम शदाणी महाविद्यालय डौंडीलोहारा द्वारा शिकायत की गयी थी उसे चौकीदार व भृत्य बनाकर दिवाकालीन - रात्रिकालीन 24 घंटे कार्य लिया गया है इंकार करने पर निष्कासन कर दिया गया। सेवाअवधि में कभी भी सामान्य, अर्जित न साप्ताहिक अवकाश नहीं दिये गये पूरे दिवस कार्य करने के उपरांत भी आधे माह का वेतन काटा गया। उक्त समस्याओं से जुझते पिछड़े वर्ग के निरीह कर्मचारी के दर्द को आयोग ने समझा एवं महाविद्यालय प्रशासन को इस बाबत निर्देशित किया है कि कर्मचारी को दिये गये कठोरतम दंड को कम करते हुए स्पष्टीकरण एवं भविष्य में कार्य में नियमितता का आश्वासन लेकर पुनः जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करें।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग के आशीष कुमार साहू, कु. रौशनी साहू रायपुर, संजय कुमार, नवीन कौशिक, बिलासपुर, विजय देवांगन, भूमिका देवांगन भनपुरी, मंजू पिंजारा कुरूद, जिला धमतरी द्वारा जाति प्रमाण पत्र संबंधी समस्यायें जैसे प्रमाण पत्र न बनना सत्यापन की समस्या एवं विभिन्न जिलों में स्थानांतरण से उत्पन्न राजस्व अभिलेखों के कारण विलंब इत्यादि की शिकायतों पर आयोग ने जिले एवं राज्य के विभिन्न अधिकारियों को आवेदकों के भविष्य व रोजगार के अवसरों के संबंध में संवैधानिक अधिकारों हेतु विचार करने बाबत पत्र प्रेषित किये गये उक्त कार्यवाही के उपरांत आवेदकों को स्वर्णिम रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त हो सका।

अध्याय -9

जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शासन के निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 428/2003/1-3, रायपुर दिनांक 22.07.2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़

विषय :- अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 197 में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों की कंडिका '6' एवं '13' में निम्नानुसार उल्लेख है :-

"6. जाच के आधार बिन्दु - जांचकर्ता अधिकारी आवेदक के निवास, स्थायी पता, राजस्व रिकार्ड, अचल संपत्ति आवेदक के परिवार का व्यवसाय, मतदाता सूची में नाम या अन्य साक्ष्य, जो कि वहां के स्थायी निवास तथा जाति सिद्ध करने में सहायक हो, प्राप्त करेंगे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वहां के रहने वाले राजपत्रित अधिकारी की भी राय ली जा सकती है ग्रामीण क्षेत्र की पंचायते तथा शहरी क्षेत्र के नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अभिलेख इन संस्थाओं की राय को भी साक्ष्य माना जायेगा परंतु प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उक्त साक्ष्य से या अन्य सभी तरीके से वे सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति को यह प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है, वह (मध्य प्रदेश) छत्तीसगढ़ का निवासी है और दिनांक 26 दिसम्बर 1984 को या इसके पूर्व (मध्य प्रदेश) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवजन कर चुका है।"

"13. प्रवजन अर्न्राज्यीय प्रवजन- (अ) जहां कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवजन करता है, तो वह केवल उस राज्य के बारे में ही पिछड़ा वर्ग का सदस्य माना जाएगा, जिससे मूल रूप से संबंध हो अथवा पिछड़े वर्ग के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.12.1984 को या इसके पूर्व राज्य में प्रवजन कर चुका हैं।

(ब) यदि पिछड़ा वर्ग का सदस्य कहीं अन्यत्र प्रवजन करता है और वह जाति/जनजाति उस प्रदेश की अधिसूचित सूची में नहीं है तो उसे जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी"

उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए 26 दिसम्बर, 1984 की स्थिति में जांच की जाना है।

2. शासन को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा वर्ग के जाति समूहों से भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की भांति वर्ष 1950 के आधार पर अभिलेख की मांग/जांच को आधार बनाया जा रहा है।

3. अतः समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है। कि वे स्वयं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्य), तहसीलदारों एवं सहायक तहसीलदारों की तत्काल बैठक लेकर यह सुनिश्चित करें कि पिछड़ा वर्गो के लिए जाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु 26 सितम्बर, 1984 की निर्धारित तिथि का पूर्णतः पालन करें।

(पंकज द्विवेदी)
प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

प. क्रमांक 428/2003/1–3, रायपुर दिनांक 22.07.2003

प्रतिलिपित :–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर।
6. उपसचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
7. प्रमुख सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
8. आयुक्त, जन सम्पर्क, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित।

(विलियम कुजूर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अध्याय -10

क्रीमीलेयर बाबत शासन के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक एफ 7-26/93/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 30.07.1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विशय :- अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र क्रीमीलेयर के संबंध में निर्धारित मापदण्ड।

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 8 मार्च 1994 तथा 22 जून, 1994।

संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें ।

2. भारत सरकार के ज्ञापन क्रमांक 36012/22/93/(ईस्टा) एस.सी.टी. दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के द्वारा प्राप्त क्रीमीलेयर के मापदण्डों को ही राज्य सरकार द्वारा मान्य किया गया है, किन्तु अंग्रेजी मापदण्डों के हिन्दी अनुवाद में कुछ शाब्दिक विसंगतियां रह गई थी। अतः अब शाब्दिक विसंगतियों को दूर करते हुए, संशोधित हिन्दी मापदण्ड जारी किया जा रहा है, जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया प्रमाण-पत्र जारी करते समय अब इन्हें अमल में लिया जाये।

हस्ता /-

सलग्न :- अनुसूची।

(पी.सी. सूर्य)
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रीमीलेयर के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अनुसूची

क्र.	प्रवर्ग का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1.	(अ) संवैधानिक पद	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :– (क) भारत के राष्ट्रपति, (ख) भारत के उप राष्ट्रपति (ग) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (घ) संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। (ङ.) समान स्वरूप के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति
	सेवा के प्रवर्ग अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा अन्य द्वारा राज्य सेवाओं के समूह–अ/ प्रथम श्रेणी अधिकारी (सीधी भर्ती नियुक्त)	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री :– (क) जिनके माता–पिता, दोनों ही प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं· (ख) जिनके माता–पिता, में से कोई एक प्रथम श्रेणी अधिकारी है (ग) जिनके माता–पिता, में से दोनो ही प्रथम श्रेणी अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तथा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता हैं, (घ) जिनके माता–पिता में से कोई एक प्रथम श्रेणी अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है , वह स्थायी तौर अथवा अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र ,अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो ।

(ङ.) जिनके माता–पिता दोनों ही प्रथम श्रेणी अधिकारी है तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है, अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाते है और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अंतराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो परंतु अपवर्जन का नियम निम्न मामलों में लागू नहीं होता –

(क) ऐसे माता–पिता के पुत्र तथा पुत्रियां जिनमें से कोई एक या दोनों प्रथम श्रेणी अधिकारी है, और जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाते हैं।

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह प्रथम श्रेणी अधिकारी से हुआ है तथा वह स्वयं नौकरी के लिये आवेदन देना चाहती है।

(आ) केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह–ख/द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सीधी भरती द्वारा नियुक्त)

निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :–

(क) जिनके माता–पिता दोनों ही द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं,

(ख) जिनके माता–पिता में से केवल पति द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है ओर वह 40 वर्ष की आयु अथवा इससे पूर्व प्रथम श्रेणी अधिकारी बनता है।

(ग) जिनके माता–पिता दोनों ही द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक इत्यादि जैसे अंतराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष तक की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

(घ) जिनके माता–पिता में से पति प्रथम श्रेणी का अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नति) तथा पत्नी द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाए, अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए तथा

(ङ) जिनके माता–पिता में से पत्नी प्रथम श्रेणी की अधिकारी हो (सीधी भरती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नति) एवं पति द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए। परंतु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :–

(क) जिनके माता–पिता दोनों द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है।

(ख) जिनके माता–पिता दोनों द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनों ही स्थायी अक्षमता के शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारी	इस प्रवर्ग में उपर्युक्त अ तथा आ में बताया गया मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों संगठनो, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर–सरकारी नियोजन के अंतर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा। समकक्ष अथवा समतुल्य पदों के आधार पर पदों के मूल्यांकन तक इन संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों पर नीचे प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।
(3) सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्धसैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं)	उन माता–पिता के पुत्र पुत्री (पुत्रियां) जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल तथा इससे ऊपर की पद श्रेणी पर तथा जल सेना और वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष, पदों पर कार्यरत है परंतु –

(1) यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात विचारार्थ प्रवर्ग) में है तो अपवर्जन नियम केवल तभी लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल की पद श्रेणी तक पहुंच जाए।

(2) पति तथा पत्नी की कर्नल से नीचे की सेवा पद श्रेणी को इकट्ठा सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(3) सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियोजन में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्देनजर नहीं रखा जायेगा जब तक कि वह मद संख्या 2 के तहत सेवा के प्रवर्ग में न आ जाए ऐसे मामलें में मानदण्ड तथा उनमें वर्णित शर्ते उस पर स्वतंत्र स्प से लागू होगी।

(4) व्यावसायिक वर्ग तथा वे जो व्यापार और उद्योग में लगे हुये कर्मचारी

(1) चिकित्सक, वकील, चार्टड एकाउन्टेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्तीय या प्रबध सलाहकार, दंत चिकित्सक, इंजीनियर,वास्तुविद(आर्किटेक्ट), कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुडा है, लेखक, नाटककार, खिलाडी, खेल से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति, जनसंचार व्यवसायी, पेशेवर खिलाडी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति

प्रवर्ग 6 के सामने विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

(2) व्यापार, कारोबार, तथा उद्योग में लगे व्यक्ति

प्रवर्ग 6 के सामने विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

स्पष्टीकरण .

(1) चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी द्वितीय श्रेणी में अथवा निम्न ग्रेड के नियोजन में हो, आय/सम्पत्ति का आकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जावेगा।

(2) यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति द्वितीय श्रेणी अथवा निम्न ग्रेड के नियोजन में हो आय/सम्पत्ति का आकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

5 सम्पत्ति स्वामी

(क) कृषि खाते

(1) एक ही परिवार (मांता-पिता तथा अवयस्क बच्चे) के उन व्यक्तियों के पुत्र तथ पुत्री जो निम्नलिखित के स्वामी हैं :-

(क) केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र के 85 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर या उससे अधिक है, या

(ख) निम्नानुसार सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार की भूमि। अपवर्जन नियम वहां लागू होगा जहां पूर्व निर्धारित शर्त यह है कि सिंचित क्षेत्र (जिसे सामान्य अभियान के आधार पर एक ही श्रेणी के अंतर्गत लाया गया हो)। सिंचित भूमि के लिये कानूनी अधिकतम सीमा का 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। (इसकी गणना असिंचित क्षेत्र को अपवर्जित करके की जाएगी)। यदि 40 प्रतिशत से कम नहीं होने की पूर्व निर्धारित शर्त विद्यमान हो तब केवल असिंचित क्षेत्र को ही हिसाब में लिया जायेगा। यह कार्य असिंचित भूमि को, विद्यमान संपरिवर्तन फार्मूले के आधार पर सिंचित श्रेणी में संपरिवर्तित किया जाएगा। असिंचित भूमि में इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र में जोड़ा जाएगा और यदि इस तरह दोनों को जमा करने पर सिंचित भूमि के रूप में कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिये तय की गयी कानूनी अधिकतम सीमा का 80 प्रतिशत या उससे अधिक है तो उस परिस्थिति में अपवर्जन का नियम लागू होगा तथा बेदखली कर दी जाएगी।

		(2) यदि परिवार के पास जो जोत क्षेत्र है और पूर्णतः असिंचित क्षेत्र है तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।
(ख) बागान	=	नीचे प्रवर्ग 6 में निर्दिष्ट आय / सम्पत्ति का मानदण्ड लागू होगा।
(एक) काफी, चाय, रबर आदि		इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जाएगा और इसलिये इस प्रवर्ग पर उपरोक्त "क" का मानदण्ड लागू होगा।
(दो) आम, खट्टे फल, सेब के बाग आदि		नीचे प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा :–
(ग) शहरी क्षेत्रों में यह उपनगरीय क्षेत्रों में रिक्त भूमि और / या भवन		स्पष्टीकरण : भवन का उपयोग आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है इस तरह के दो या अधिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है।
6. आय / सम्पत्ति आकलन संशोधन दिनांक 6 जुलाई 2000		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियां :– (क) ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षों से दो लाख रूपये या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले लगातार तीन वर्षों से इतनी सम्पति है जो धनकर अधिनियम में दी गई छूट की सीमा से अधिक है। (ख) प्रवर्ग 1,2,3 तथा 5–क में वे व्यक्ति जो कि आरक्षण के फायदे के हकदार है लेकिन जिन्हें सम्पत्ति के अन्य स्त्रोतों से आय होती है जिसके कारण वे ऊपर (क) में दी गई आय / सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर आते हों। स्पष्टीकरण : (1) वेतन या कृषि भूमि से हुई आय को इकट्ठा सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (2) रूपये के मूल्य में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये, रूपये के रूप में आय के मानदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जाएगा तथा परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतरावधि कम भी हो सकती है।

स्पष्टीकरण : इस अनुसूची में जहां कहीं भी "स्थायी अक्षमता" अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरूप किसी अधिकारी को सेवा में बनाये न रखा जा सके।

अध्याय -11 आयोग की बैठकें

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर की दिनांक 26-06-2008 को कार्यालय में आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 26-06-2007 को माननीय श्री नारायण चन्देल, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में बैठक आहुत की गई। जिसमें श्री लोचन पटेल, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं सचिव श्री एन.आर.साहू, उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर उपस्थित रहे।

बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय के सफल संचालन तथा आयोग को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पर विचार विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गए :-

1. अब तक आयोग कार्यालय के लिए पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है और न ही स्वीकृत सेटअप के अनुसार कार्यालयीन अमले की पूर्ति हुई है, केवल स्टॉफ के नाम पर एक सहायक ग्रेड-03 जो कि सीएसआईडीसी के स्टॉफ में से है पूर्ति की गई है । आयोग के कार्य संचालन के लिए 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कलेक्टर दर पर कार्यरत हैं तथा श्री एन.आर.साहू, उपायुक्त सचिव के अतिरिक्त प्रभार में है, इस कारण से आयोग कार्यालय का कार्य स्टॉफ की कमी से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है अतः कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास/छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय यदि 15 जुलाई 2007 तक स्वीकृत सेटअप के अनुसार पंदों की पूर्ति नहीं करती है तो तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरने हेतु अनुमति लिया जाकर पद पूर्ति की कार्यवाही की जाए ।
2. आयोग के कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों, आम नागरिक को अवगत कराने के लिए प्रचार/प्रसार हेतु पाम्पलेट तथा बुकलेट तैयार किए जावे तथा जिला मुख्यालय में बोर्ड भी लगवाएं जाएं ।
3. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय के लिए फर्नीचर क्रय की स्वीकृति प्राप्त हुई है, आयोग कार्यालय के कार्य के सफल संचालन तथा कार्यों के सम्पादन हेतु कम्प्यूटर, फोटो कॉपीयर, फैक्स मशीन, टी.वी., सोफासेट तथा अन्य आवश्यक सामग्री की पूर्ति अब तक नहीं हो पाई है । इस हेतु भी अतिशीघ्र शासन अथवा संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यालय में सामग्री आपूर्ति तथा कार्यालय का साज-सज्जा पूर्ण किए जावे।
4. आयोग को सौपें गए कार्यों के लिए सर्वप्रथम प्रारम्भिक् जानकारी एकत्रित की जावे, इस हेतु आयोग सबसे पहले मध्यप्रदेश राज्य का दौरा करें तथा वहॉ पर पिछड़ा वर्ग से संबंधित कार्यों तथा महाजन आयोग/मण्डल आयोग तथा काका कालेलकर के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के सम्बन्ध में तैयार प्रतिवेदन तथा आवश्यक कागजात प्राप्त करें । इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठित आयोग कार्यालय नई दिल्ली से भी आवश्यक जानकारी का संकलन कर आयोग अपना कार्य शीघ्रता से प्रारम्भ करे।

जिलों का भ्रमण कर पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों से चर्चा कर, जिला अधिकारियों की बैठक कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में लें तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम लिए जा सकते है और इनकी बेहतरी के लिए क्या–क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर शासन को अपनी अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया गया ।

5. पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक स्तर के सुधार/साक्षरता में वृद्धि हेतु जिस तरह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्री.मैट्रिक/पो. स्टमैट्रिक का छात्रावास संचालन किया जा रहा है, उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए ब्लाक/जिला मुख्याल में प्रीमैट्रिक/पोस्टमैट्रिक छात्रावास संचालन की स्वीकृति दिए जानें, पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को भी सायकिल प्रदाय करने तथा इन वर्ग के छात्रा/छात्राओं को अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जाति के समकक्ष छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की राशि दिए जाने हेतु अपनी अनुशंसा शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।

6. पिछड़े वर्गो के विकास के लिए अभी कोई क्षेत्रीय विकास योजना संचालित नहीं है। और न ही इसके लिए कोई निधि का निर्माण शासन ने किया है। क्षेत्रीय भ्रमण के समय पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु राशि की मांग करते है जिसकी पूर्ति धनाभाव के कारण संभव नहीं है, अतः शासन को पिछड़ा वर्ग विकास कोष की स्थापना करने तथा उसका नियंत्रण पिछड़ा वर्ग आयोग के पास रखे जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने का भी निर्णय लिया गया।

7. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर हेतु शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा 2.00 लाख को बढ़ाया जाना निहायत जरूरी है क्योंकि शासन द्वारा महगाई भत्ता के 50: को वेतन में मर्ज/समाहित कर दिए जाने के बाद कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि है। क्रीमीलेयर के लिए निर्धारित आयसीमा 2.00 लाख रूपये अब प्रासंगिक नहीं रह गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार तथा कई राज्य सरकार ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर हेतु आय सीमा 2.50 लाख तक निर्धारित कर दी गई है, ऐसी स्थिति में शासकीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि को देखते हुए क्रीमीलेयर की सीमा में वृद्धि की अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया गया।

8. अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना रायपुर में की गई थी जिसमें अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षित था अब रायपुर में संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु इस केन्द्र में केवल अनुसूचित जनजाति/अनुसचित जाति के अभ्यर्थियों को ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है, एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं हैं अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी प्रशिक्षण सीट में आरक्षित करने हेतु शासन को लिख जावे। इसी प्रकार सभी जिला मुख्यालय में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किए जाने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिये जाने तथा बिलासपुर एवं जगदलपुर के

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में अन्य पिछड़ा के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था करने बाबत् शासन को लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

(नारायण चंदेल)	(लोचन पटेल)	(एन. आर. साहू)
अध्यक्ष	सदस्य	सचिव

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
21, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/छ.ग.रा.पि.व.आ/06-07/206 रायपुर, दिनांकः 09.07.2007

प्रतिलिपिः-

1. सचिव माननीय मुख्यमंत्रीजी का सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर।
3. निज सहायक, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर।
4. स्टाफ ऑफीसर, मुख्यसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय डी.के.एस.भवन, रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संचालक, आदिम जातिं तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर की दिनांक 20.9.2007 को कार्यालय में आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण

क्रीमीलेयर तथा पिछड़े वर्गो के हितार्थ योजनाओं के संबंध में दिनांक 20.09.2007 को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कार्यालय में श्री नारायण चंदेल अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई जिसमें श्री लोचन पटेल सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति की ओर से श्री डी. डी. कुंजाम उपायुक्त तथा सचिव श्री बद्रीश सुखदेवे उपस्थित रहे। बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किये गये :-

1. <u>क्रीमीलयेर के मापदंडों में आवश्यक संशोधन</u> :- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर हेतु शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा 2.00 लाख को बढ़ाया जाना निहायत जरूरी है क्योंकि शासन द्वारा महंगाई भत्ता के 50% को वेतन में मर्ज/समाहित कर दिये जाने के बाद कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है। अतः क्रीमीलेयर के लिए निर्धारित आय सीमा 2.00 लाख रूपये अब प्रासंगिक नहीं रह गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार तथा कई राज्य सरकार ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर हेतु आय सीमा 2.50 लाख तक निर्धारित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में शासकीय कर्मचारियों के वतन भत्तों में वृद्धि के मंद्देनजर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर हेतु निर्धारित आय सीमा को 2.00 लाख से बढ़ाकर 3.00 लाख रूपये तक किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, तथा यह भी जोड़ा गया कि भारत सरकार द्वारा जब जब क्रीमीलेयर की आय सीमा में वृद्धि की जाती है तब तब राज्य सरकार को भी उसी के अनुरूप आय सीमा में वृद्धि करनी चाहिये उक्त निर्णय की अनुशंसा राज्य सरकार को तत्काल प्रेषित की जायेगी।
2. पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम छत्तीसगढ़ के नाम से प्रकाशित कराये जाने की अनुशंसा की गई अभी भी अधिकांश जगह म.प्र. पिछड़ा वर्ग अधिनियम ही छपा हुआ है, जिसे पुनः प्रकाशन छत्तीसगढ़ के नाम से कराने की अनुशंसा की गई।
3. पिछड़ा वर्ग की जनगणना भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान पृथक से नहीं होती है ओर जनगणना में अभी विलंब है चूकि छत्तीसगढ़ नवगठित राज्य है अतः आयोग यदि कम समय में पिछड़ा वर्ग की गणना कराने में सक्षम है तो सीधे भारत सरकार से पत्र व्यवहार कर इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने के लिये अनुमोदन किया गया। आयोग को अपने स्तर से शीघ्र यह कार्य प्रारंभ कराना आवश्यक है। अतः इसकी अनुशंसा की गई।
4. अपने विभाग का नाम आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पूरा नाम पूरे जिले के विभागीय बोर्ड में तथा संचालनालय के बोर्ड में लिखे जाने की अनुशंसा की गई वर्तमान में समस्त विभागीय नाम में पूरा नाम

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लिखे जाने हेतु सुझाव विभाग को दिया जावेगा। साथ ही म.प्र. की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पिछड़ा वर्ग के लिये पृथक से संचालनालय खोले जाने की अनुशंसा की गई।

5. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय सीमा पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिये जो कि 25000/– है उसे बढ़ाकर 1.00 लाख रूपये वार्षिक किये जाने की अनुशंसा की गई है। छ.ग. राज्य में ओ.बी.सी. की संख्या को देखते हुये प्रत्येक जिले में छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता है। अतः छात्रावास खोलने के लिये प्रस्ताव रखा गया पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जहां जहां पर बाहुल्य है वहां वहां प्राथमिकता से छात्रवास खोलने पर जोर दिया गया। प्रदेश में निम्नानुसार स्थानों में छात्रावास खोलने की अनुशंसा की गई :–1. जांजगीर 2. धमतरी 3. राजनांदगांव 4. कवर्धा 5. कांकेर 6. महासमुंद 7. कोरबा 8. रायगढ जहां पर प्री. मैट्रिक है वहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने तथा बालक एवं कन्या के लिये पृथक छात्रावास उपरोक्त स्थानों पर खोलने की अनुशंसा की गई ताकि पिछड़े वर्गो के छात्रों की शैक्षणिक विकास को दिशा मिल सके।

6. पिछड़े वर्गो का सेमीनार/सम्मेलन प्रत्येक जिले में कराने बाबत् चर्चा की गई जिसमें कि पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार सेमीनार/सम्मेलन के माध्यम से किया जा सकेगा। सेमीनार में बुद्धिजीवियों को तथा सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग के सभी समाज प्रमुखों को आमंत्रित किया जायेगा जिनकी शुरूआत राजधानी से की जायेगी। इस कार्यक्रम हेतु बजट प्रावधान 2.00 करोड रूपये की मांग शासन से किये जाने की अनुशंसा की गई। ताकि पिछड़े वर्गो की समस्त जातियों से आयोग द्वारा जीवन्त सम्पर्क सतत कायम रहे एवं उनमें और नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा सके साथ ही उनके समस्याओं से रूबरू हो कर उनके निराकरण किये जा सकेंगे।

7. वर्तमान में आयोग के पास कोई बजट सीधे जनता को प्रदान करने हेतु नहीं है अतः पिछड़े वर्ग के लिये कल्याण कोष की स्थापना आयोग में होना आवश्यक है। इसी कारण पिछड़ा वर्ग कल्याण कोष की स्थापना के लिये राज्य सरकार को अनुशंसा भेजने बाबत् निर्णय लिया गया ताकि पिछड़ा वर्ग आयोग के भ्रमण के दौरान जन समुदाय को सामाजिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये घोषणा करने तथा राशि प्रदाय का प्रावधान किया जा सके सर्वसम्मति से इस बाबत् निर्णय लिया गया।

8. पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना में लाभ दिया जाये। साथ ही जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत जो कि अनुसूचित जनजाति के लिये

संचालित है उनमें पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया, ताकि पिछड़े वर्गो के बच्चों को भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के समान लाभ मिल सके। अतः मेधावी छात्रवृत्ति तथा जवाहर उत्कर्ष योजना में भी पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को शामिल किये जाने की अनुशंसा की गई।

सदस्य सचिव अध्यक्ष

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी का सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर।
3. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर।
6. संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित निज सहायक, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर की दिनांक 18-01-2008 को कार्यालय में आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्गों के हित संर्वधन हेतु आज दिनांक 18.01.08 छ.ग.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय में अध्यक्ष श्री नारायण चंदेल की अध्यक्षता में अपरान्ह 2.00 बजे बैठक आयोजित की गयी जिसमें सदस्य श्री लोचन पटेल, संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से श्री डी.डी. कुंजाम उपायुक्त तथा आयोग के सचिव श्री बद्रीश सुखदेवे एवं श्रीमती अनिता डेकाटे अनु. अधि. उपस्थित रहे। उपरोक्त बैठक में निम्नानुसार प्रस्ताव रखे एवं पारित किये गये :–

1. <u>आवास आबंटन में आरक्षण</u> :– पिछड़े वर्गों के लोगों को छ.ग. गृह निर्माण मंडल के द्वारा निर्मित आवासों में आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय के सदस्यों को शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित आवास ग्रहों में भी हिस्सेदारी बढ़ाने संबंधी चर्चा हुई जिस पर सभी सदस्यों ने सर्वसहमति से यह विचार किया कि ग्रामीण आवासीय योजनाओं की तरह शहरी विकास प्राधिकरणों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य/लोगों की सहभागिता बढ़ाने हेतु आवासीय प्राधिकरणों में पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को आवंटन में प्राथमिकता (आरक्षण) देते हुए शहरों में आवासीय परिसर प्रदान किये जायें तथा आवास योजनाओं में अनुदान प्रदान करने की अनुशंसा शासन को भेजे जाने संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया।

2. आयोग संवैधानिक अधिकारों के हितप्रहरी संस्था के रूप में कार्यरत है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न समस्याओं के हल एवं पीड़ित पक्ष के न्याय के कार्य में संवैधानिक पुस्तकों, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु की गई अनुशंसा का अध्ययन ही निर्णय का आधार है अतः संबंधित निर्माता डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखित वाड.मय के साथ ही काका कालेलकर के प्रतिवेदन अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित महाजन आयोग की सिफारिशें एवं संवैधानिक अधिनियमों सम्बन्धित पुस्तकें क्रय किया जाने के निर्णय का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

3. छ.ग. राज्य की स्थापना उपरांत गठित नवीन आयोग में छ.ग. में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक सूची उपलब्ध नहीं है, म.प्र. राज्य की सूची ही कार्य का आधार है इस कारण से कुछ विशिष्ट जातियां जिनका निवास मात्र म.प्र. में है सूची में शामिल है एवं कुछ जातियां जिनका निवास छ.ग.में है सूची में शामिल नहीं है। इसके कार्य में असुविधा होती है अतः बैठक में यह प्रस्ताव पास किये जाने का निर्णय किया गया कि व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से बेरोजगार युवाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जाये। सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाये गणतंत्र दिवस के विज्ञापन के साथ जोडकर इसका विज्ञापन देकर कार्य प्रारंभ किया

जा सकता है। इस पर सहमति हुई।

4. अध्यक्ष महोदय के प्रस्ताव पर सभी सदस्य सहमत हुए कि प्रचार प्रसार हेतु बुद्धिजीवी वर्गो, समाज प्रमुखों का अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों तथा जनप्रतिनिधियों को बुलाकर प्रबुद्ध वर्गो की संगोष्ठी/सेमीनार/सम्मेलन कराया जाना भी प्रचार--प्रसार हेतु उपयुक्त माध्यम है अतः फरवरी–मार्च में सभी जिलों में सम्मेलन--सेमीनार आयोजित किये जाने का प्रस्ताव भी पारित किया।

5. कार्यालयीन गतिविधियों मे सामाजिक कार्यकर्ताओं के सत्कार हेतु गैस कनेक्शन, दौराकालीन कार्यालयीन कार्य संपादन व कार्य के प्रस्तुतीकरण हेतु एक कम्प्यूटर व दो लैपटाप तथा डाक वितरण हेतु बाईसिकल क्रय किया जाना भी प्रस्तावित किया गया कार्यालय में कम्प्यूटर डाटाएन्ट्री पद पर कु. रश्मि पटेला कार्यरत है जिन्हें वर्तमान में कलेक्टर दर पर भुगतान किया जा रहा है पूर्ण दक्षता के उपरांत इन्हें संविदा दर पर भुगतान की अनुशंसा की गयी।

श्री नारायण चंदेल अध्यक्ष	श्री लोचन पटेल सदस्य,	श्री डी.डी.कुंजाम उपायुक्त

श्रीमती अनिता डेकाटे
अनु. अधि.

सचिव,
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./ /छ.ग.रा.पि.व.आ./08–09 रायपुर, दिनांकः

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निज सचिव माननीय मंत्रीजी छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय छ.ग. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. स्टाफ अधिकारी मुख्य सचिव छ.ग. शासन मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ प्रेषित।
6. संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर की दिनांक 28-03-2008 का कार्यवाही विवरण

दिनांकः 28.03.08 को माननीय श्री नारायण चंदेल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में आयोग की बैठक आहुत की गई। जिसमें मान. श्री प्रहलाद रजक, मान. श्री नंदकुमार साहू, मान. श्री सोमनाथ यादव, मान. श्री देवेन्द्र जायसवाल, सचिव, श्री बद्रीश सुखदेवे, अनु. अधिकारी, श्रीमती अनिता डेकाटे, निज सचिव, श्री एस.एल. साहू उपस्थित रहे। पांच नवीन सदस्यों की नियुक्ति होने के उपरांत सात सदस्यीय आयोग की यह प्रथम बैठक थी। अतः समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय को केबिनेट मंत्री का दर्जा शासन द्वारा प्राप्त होने पर सभी सदस्यों व अधिकारियों ने बधाई दी एवं पुष्पहार से स्वागत किया तद्उपरांत मान. अध्यक्ष महोदय के द्वारा होली की बधाई तथा शुभकामनाऐं देते हुए बैठक प्रारंभ की गई।

बैठक में राज्य के पिछड़े वर्गो के लाभार्थ योजनाओं/सुविधाओं के संचालन की सफलता हेतु आयोग के कार्यो पर समीक्षात्मक चर्चा हुई एवं दायित्वों का सफलता पूर्वक निर्वहन करने बाबत् विचार विमर्श किया गया कार्यवाही का विवरण एवं बैठक में लिये गए निर्णय निम्नानुसार है :-

एजेण्डा क्र. 1 कुन्बी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करना

कुन्बी जाति पर भोपालपट्टनम, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोटा, से आये कुन्बी जाति के लोगों की समस्याओं पर सुनवाई की गयी कुन्बी जाति के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा मा. अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी समस्याओं पर विस्तार से बताया कि कुन्बी जाति मूलतः भोपालपट्टनम में 4-5 पीढ़ियों से निवासरत् है। इनकी आबादी बस्तर के अलावा बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग में कुल 1 से 1.5 लाख लगभग हैं। इनका पैतृक कार्य कृषि एवं कृषि मजदूरी है। इनमें शिक्षा का प्रतिशत न्यून है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी तक शिक्षित कुछ लोगों द्वारा सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किये जाने पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है, उनके अनुसार कुनबी जाति को छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ी वर्ग सूची के अनुक्रमांक- 39 में शामिल किया गया है, जबकि वे लोग कुन्बी लिखते है। इस मात्रात्मक त्रुटि के कारण तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। इनकी मुख्य भाष हल्बी छत्तीसगढ़ी है तथा वर्तमान में हिन्दी भाषा का प्रचलन बढ़ रहा है ।

भोपालपट्टनम से उपस्थित रोशैया ने बताया कि वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में उनके बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता जिसे शिक्षा में अवरोध उपस्थित होता है अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी संचालित छात्रावासों में आरक्षण दिया जावें एवं इन वर्गों के लिए नवीन छात्रावास पृथक से खोला जावे।

मददेड़ से आये श्री ओडरी एवं नीलम गणपत ने बताया कि उनके समाज में राजनैतिक प्रतिनिधित्व एवं सरकारी नौकरी में कोई भी व्यक्ति नहीं हैं।

इस पर मा. अध्यक्ष महोदय ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निर्देशित किया कि मात्र लिपिकीय एवं उच्चारण संबंधी त्रुटि है। अतः इस त्रुटि का सुधार करते हुए छ.ग. के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची क्र. 39 पर कुनबी के पश्चात् कुन्बी शब्द को जोड़ा जा कर इनकी समस्या का समाधान किया जाना उचित होगा। कुन्बी जाति के पदाधिकारीगण भी आशवस्त हुए। आयोग के समस्त सदस्य सर्वसम्मति से मात्रात्मक त्रुटि सुधार की अनुशंसा करने हेतु सहमत हुए।

एजेण्डा क्र. 2 विभिन्न जातियों से प्राप्त आवेदनों पर चर्चा

एजेण्डा क्र. 2 में विभिन्न जातियों से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर क्रमशः आयोग में निम्नानुसार चर्चा की गई :–

1. खर्रा जाति :– खर्रा जाति को शामिल करने बाबत् आयोग में रायगढ़ भ्रमण की जानकारी प्रस्तुत की गयी जिसके तहत कलेक्टर रायगढ़ को अभिमत हेतु पत्र भेजा गया है, जिस पर जानकारी अप्राप्त है, कलेक्टर को स्मरण पत्र लिखा जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस जाति के लोग जांजगीर, महासमुन्द जशपुर जिलों में निवास करते है। अतः इन जिलों का भ्रमण अप्रैल 08 में किया जाकर आगामी बैठक में प्रतिवेदन रखा जावेगा जिसके लिए मान. सदस्यों द्वारा भ्रमण/अवलोकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

2. गड़ेरी जाति :– गड़ेरी जाति की तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने एवं मात्रात्मक त्रुटि सुधार करने हेतु आयोग के मा. अध्यक्ष, सदस्य एवं कार्यालयीन कर्मचारियों के द्वारा किये गये भ्रमण की रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की गई जिसमें 35 लोगों से समक्ष में भेंट करते हुए सुनवाई का उल्लेख था, जिसमें सामाजिक पदाधिकारियों के अलावा गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। इन जातियों का निवास मुख्यतः अम्बिकारपुर एवं सरगुजा जिलें के वाड्रफ नगर, बलरामपुर, रामचन्द्रपुर, रामानुजगंज आदि में है, ये लोग आदिवासी इलाकों में रह कर कृषि एवं कृषि मजदूरी, भेड़ बकरी पालन तथा कम्बल बुनने का कार्य करते है, उन्होंने बतालाया कि राजस्व अभिलेखों में गाडरी एवं गडरिया लिखा हुआ है, तथा छ.ग. पिछड़ा वर्ग के सूची के अनु. 23 पर इन्हें गडरिया, गाडरी, धनगर, कुरमार आदि के समकक्ष अंकित गया है, जहॉ गड़ेरी शब्द का उल्लेख न होने से इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इस पर मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा अगली बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। आगामी बैठक के पूर्व यदि मान. सदस्यगण भ्रमण कर प्रतिवेदन देते है तो अगली बैठक में प्रस्तुत कर सकते है।

3. <u>रौनियार जाति</u> :– रौनियार जाति का तथ्यात्मक अध्ययन हेतु मान. अध्यक्ष एवं सदस्य श्री लोचन पटेल जी के साथ आयोग के अधिकारी/कर्मचारियों के अंबिकापुर में भ्रमण एवं सुनवाई की गई थी, जिसमें पाया गया कि इन्हे जायसवाल एवं कलार के समकक्ष जाति स्वीकार किया जावें। ताकि शिक्षा, नौकरी, एवं अन्य सुविधाओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के सूची में शामिल किया जा सके। इस पर आयोग ने यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया है कि इनके लिए अनुसंधान/सुनवाई पृथक से किया जाकर पुनः आगामी बैठक में रखा जाए। इस कार्य हेतु मान. श्री सोमनाथ यादव जी ने अपने क्षेत्र के समीप होने के कारण जिम्मेदारी ली, इस पर आयोग के सभी सदस्य सहमत हुए, ताकि आगामी बैठक में उक्त सम्बंध में निर्णय लिया जा सके।

4. <u>नाथयोगी जाति</u> :– नाथजोगी/जोगीनाथ जाति का उल्लेख छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग की <u>सूची के अनु. 30</u> पर अंकित है इस बाबत् 26.11.07 को मा. सदस्य श्री लोचन पटेल व आयोग के सचिव तथा कर्मचारियों द्वारा जुगेरा (बालोद) जिला दुर्ग क्षेत्र का भ्रमण किया गया, यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि जोगीनाथ जाति के लोग नाथयोगी भी लिखते हैं। नाथयोगी प्रमुखता से, जुगेरा, आंरग, शिवरीनाराण, जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, बालोद क्षेत्र में निवास करते है। इनका प्रमुख कार्य मंदिरों में पूजा, भिक्षावृत्ति, कृषि तथा कृषि मजदूरी है। सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पिछड़ा हुआ है। दाह संस्कार के स्थान पर म्रत्यु उपरान्त समाधि दी जाती है। मामा–फूफू विवाह प्रचलित है तथा ये बावा व बैरागी के समकक्ष जाति हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त के संबंध में मान. सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल एवं श्री प्रहलाद रजक को दौरे हेतु निर्देशित किया गया। ताकि आगामी बैठक में उक्त सम्बंध मं निर्णय लिया जा सके।

5. <u>थनापति जाति</u> :–थनापति जाति के प्राप्त आवेदन पत्र पर आयोग ने महासमुंद जिला के भ्रमण के कार्यक्रम बनाने तथा जनसुनवाई की तिथि तय करने का निर्णय लिया, उक्त तिथि में ही महासमुंद जिलें के अन्य जातियों को बुलाया जा सकता है यह तिथि आगामी माह में तय की जायेगी।

6. <u>गुड़िया जाति</u> :– गुड़िया जाति के आवेदन–पत्र पर विचार करते हुए आयोग के द्वारा शीघ्र ही भ्रमण करने हेतु कार्यालयीन टीम को निर्देश दिया गया वे रायगढ़ एवं महासमुंद जिले का अनुसंधान/प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, साथ ही माननीय सदस्यगण भी इस कार्य हेतु योगदान दे सकते है। जिसके प्रतिवेदन के आधार पर आगामी बैठक में निर्णय लिया जायेगा।

7. <u>गबेल जाति</u> :– गबेल जाति से प्राप्त आवेदन पर आयोग के द्वारा किये गये भ्रमण/अध्ययन उपरांत पटल पर रखे प्रतिवेदन के निरीक्षण के उपरान्त आयोग ने बैठक में इसे उच्चारण, मात्रा एवं शब्द का हल्का सा फर्क महसूस करते हुए छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की <u>सूची क्रं. 39</u> पर कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुर्मवंषी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहु, कुंभी, गबैल (गमैल) के पश्चात् गबेल को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़ा जाने का निर्णय लिया गया। इस समाज के लोग मुख्यतः जांजगीर–चांपा एवं अन्य जिलों में अनुमानतः 80 हजार की संख्या में निवासरत हैं इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि मजदूरी है। इनका स्तर सामान्य से न्यून हैं राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी यह समाज पिछड़ा है तथा इन्हे पटेल एवं

चन्द्रनाहू के समकक्ष माना जाता है। अतः आयोग ने मात्रात्मक त्रुटि में सुधार हेतु अनुशंसा करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया ।

8. कापरी जाति :– कापरी जाति से प्राप्त आवेदन पर आयोग की बैठक में निर्णय लिया गया कि मान. कृष्णकुमार गुप्ता जी (पूर्व मंत्री/विधायक) गौरीशंकर मंदिर के पास रायगढ़ को पत्र लिखकर जानकारी प्राप्त की जावे तथा आवश्यकतानुसार क्षेत्र भ्रमण कर कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर अप्रैल माह में निष्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. गोपाल जाति :– छ.ग. के जांजगीर, चांपा जिलें में निवासरत् गोपाल जाति के आवेदन पत्र पर आयोग के सचिव के नेतत्व में किये गये भ्रमण दिनांक 15.03.08 के प्रतिवेदन को बैठक में प्रस्तुत किया गया। जिसमें इनका परम्परागत व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें केन्द्र सरकार की पिछड़ा वर्ग की सूची में भी अनु. 1 पर शामिल किया गया है, जबकि छ.ग. और म.प्र. में घोषित सूची में इन्हे शामिल न करने से समाज के लोगों को शासन की योजनाओं सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं, इस विषय पर चर्चा करते हुए आयोग की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने जांजगीर में समक्ष में बुलवाकर सुनवाई किए जाने के निर्देश दिये।

10. केशरवानी जाति :– केशरवानी समाज के आवेदन पत्र पर सदस्यों के दल को तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने का निर्देश देते हुए शीघ्र ही क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम बनाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

उपरोक्त सभी जातियों हेतु माह अप्रैल में भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाकर आवश्यकतानुसार जिलों की बैठक तथा जिला कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। उक्त भ्रमण सुनवाई के समय इस क्षेत्र/जिलों से आए समस्त आवेदकों को जिला मुख्यालय में बुलाने हेतु पत्र लिखा जाएगा, ताकि उन जिलों के प्राप्त सभी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जा सके।

एजेण्डा क्र. 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य में संचालित 4 छात्रावासों में बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती मा. आयोग के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित करने का निर्णय लिया गया, साथ ही उक्त कार्यक्रम हेतु संबंधित जिलों के अधिकारियों को समय रहते पत्र लिखकर कार्यक्रम बनाये जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों के साथ ही साथ छ.ग.राज्य में संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित समस्त छात्रावासों में डॉ. अम्बेडकर जयंती आयोजन हेतु प्रत्येक अधीक्षक को 5000/–रू. प्रदान किये जाने की अनुशंसा शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा क्र. 4 पिछड़े वर्गो से प्राप्त आवेदन एवं शिकायत पर निम्नानुसार चर्चा की गई :–

1. श्री सनतकुमार साहू, मंडल अध्यक्ष, पंचपेड़ी नाका मंडल रायपुर द्वारा, श्री नारायण साहू मठपुरैना बजरंग चौक, नरेश कुमार साहू किराना स्टोर के पास मठपुरैना रायपुर को अटल आवास दिलाने के लिए विचार करने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन मूलतः संबंधित उच्च कार्यालय भेजते हुए आवेदक को इसकी सूचना भेजे जाने का मान. अध्यक्ष महो. द्वारा निर्णय लिया गया।

2. श्री हेमंत कुमार साहू, के नियमितीकरण के लिए स्मरण पत्र 29.01.08 को भेजा गया है, किन्तु आज तक जानकारी अप्राप्त है। पुनः स्मरण पत्र के लिए या अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया।

3. श्री रिखीराम वर्मा के आवेदन को कलेक्टर रायपुर को जांच के लिए 05.03.08 को पत्र लिखा गया था किन्तु आज तक जानकारी अप्राप्त है। पुनः कलेक्टर को पत्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

4. कु. सीमा साहू शिक्षाकर्मी की भर्ती में अनियमितता के संबंध में श्री जे.एस.राजपूत मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयोग के समक्ष 19.02.08 एवं 04.03.08 को उपस्थित होने के लिए टीप कराया गया किन्तु 04.03.08 को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। आयोग को जांच प्रतिवेदन शीघ्र पूर्ण कर दोषियों के खिलाफ प्रतिवेदन भेजने के लिए निर्देशित किया गया।

5. श्री भानूप्रताप राठौर द्वारा मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के अंतर्गत आंवटित योजना में अनियमित्ता के शिकायत के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद खरसिया जिला रायगढ़ को पत्र क्र. 533 दिनांक 25.01.08 को पत्र भेजा गया था जानकारी अप्राप्त होने के फलस्वरूप पुनः स्मरण पत्र दिये जाने निर्देशित किया गया।

6. श्री कार्तिक राम पटेल द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र को जांच के लिए कलेक्टर महासमुंद को आयोग के पत्र क्र. 877 दिनांक 18.02.08 को प्रेषित किया गया है। पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्मरण पत्र पुनः लिखने को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा क्र. 5 अध्यक्ष की विशेष अनुमति से चर्चा करते हुए, नवआगन्तुक सदस्यों के छायाचित्रों सहित नाम, पते एवं दूरभाष क्र. के साथ आयोग के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग समाज के प्रमुखों को डायरी वितरण करने हेतु डायरी के मुद्रण कार्य के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि आयोग की कार्य प्रणाली एवं क्षेत्र भ्रमण इत्यादि को ध्यान में रखते हुए रविवार के दिनांक सहित मध्यम आकार के उच्चतम क्वालिटी के डायरी का प्रकाशन अतिशीघ्र किया जावे क्योंकि वर्ष के 3 माह समाप्त हो चुकें है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण कोष की स्थापना की चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से पिछली बैठक के निर्णयानुसार पुनः शासन को अनुशंसा किये जाने का निर्णय लिया गया ताकि पिछड़ा वर्ग कोष की स्थापना से आयोग के सदस्यों के क्षेत्र में भ्रमण के समय पिछड़ा वर्गों के लोगों की मांग अनुसार राशि की घोषणा कर लाभान्वित किया जाएगा।

आयोग के मान. सदस्य डॉ. सोमनाथ यादव द्वारा अध्यक्ष महो. की विशेष अनुमति से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को पिछड़ा वर्ग दिवस के रूप में घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया जिस पर आयोग ने सर्वसम्मति दी एवं निकटतम

भविष्य में मान. मुख्यमंत्री जी को सौपे जाने वाले ज्ञापन में इस विषयवस्तु को शामिल करने का निर्णय लिया गया।

जाति एवं निवास प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया को सरलीकरण हेतु मान. सदस्य डॉ. सोमनाथ यादव द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर आयोग के सभी सदस्य सहमत हुए एवं अध्यक्ष महोदय ने एक बार जारी किए गए जाति प्रमाण–पत्र को स्थायी प्रमाण–पत्र के रूप में मान्यता किये जाने की अनुशंसा की ताकि पिछड़ा वर्गों के बच्चों को एवं बेरोजगार युवक/युवतियों को पिछड़े वर्गो के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में परेशानी न हो। इस बिन्दु पर मा. सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल के द्वारा पिछड़ा वर्गो के लिए जाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अपनाये जाने हेतु प्रक्रिया को सरलीकरण किये जाने का प्रस्ताव रखा गया जिस पर बैठक की चर्चा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 1932–33 के पूर्व के मिसल बंदोबस्त अभिलेख की मांग तहसीलदार तथा अनु. अधिकारी के द्वारा की जाती है जिससे कि पिछड़े वर्गो के छात्र छात्राओं को तथा युवा बेरोजगारों को शासन द्वारा प्रदाय किए जाने वाले लाभ से वंचित होना पड़ता है। उक्त बिन्दु पर आयोग के समस्त सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि उक्त प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाना आवश्यक है। मा. अध्यक्ष महोदय ने यह भी सुझाव दिया कि एक बार जो जाति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जाता है, उसे ही बच्चों के लिए स्थायी रूप से मान्यता प्रदान किया जावें। जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए पूर्व के आदेश को शिथिलीकरण करने की अनुशंसा राज्य शासन को भेजने का निर्णय आयोग के द्वारा लिया गया।

मा. आयोग के सदस्यों की संख्या में शासन द्वारा वृद्धि की गई हैं अतः समुचे छ.ग. राज्य में भ्रमण/दौरा करने के लए पर्याप्त वाहन सुविधा तथा बजट आदि की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र करने हेतु शासन को प्रस्ताव/पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

मा. अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह निर्देश देते हुए कि आयोग को प्राप्त होने वाले समस्त पत्रों तथा शिकायतों/सुझावों पर आयोग की ओर से आवेदकों को आवश्यकतानुसार पत्र लिख कर धन्यवाद ज्ञापन किया जाये एवं कृत कार्यवाही से अगली बैठक के समय अवगत कराया जावें। अंत में सभी सदस्यों को तथा आयोग के स्टाफ को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष महोदय जी द्वारा बैठक समाप्त की घोषणा की गई।

(मान. गणेश कौशिक) **सदस्य** **छ.ग. रा पि.व.आ. रायपुर**	**(मान. नंदकुमारसाहू)** **सदस्य** **छ.ग. रा पि.व.आ. रायपुर**	**(मान. देवेन्द्र जायसवाल)** **सदस्य** **छ.ग. रा पि.व.आ. रायपुर**
(मान. डॉ. सोमनाथ यादव) **सदस्य** **छ.ग. रा पि.व.आ. रायपुर**	**(मान. प्रहलाद रजक)** **सदस्य** **छ.ग. रा पि.व.आ. रायपुर**	**(मान. लोचन पटेल)** **सदस्य** **छ.ग. रा पि.व.आ. रायपुर**

(बद्रीश सुखदेवे)	(मान. श्री नारायण चंदेल)
सचिव	अध्यक्ष
छ.ग. रा पि.व.आ. रायपुर	छ.ग. रा पि.व.आ. रायपुर

पृ क्रं. / /छ.ग.रा.पि.व.आ./08–09 रायपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, सचिवालय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, अध्यक्ष छ.ग.रा.पि.व.आ., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय छ.ग. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सचिव छ.ग. शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संचालक, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
7. स्टाफ अधिकारी मुख्य सचिव छ.ग. शासन मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ प्रेषित।
8. निज सचिव मा. ....।
9. निज सचिव, अध्यक्ष छ.ग.रा.पि.व.आ., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

अध्याय -12

पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिनियम

डाक- व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत अनुमति पत्र
क्र. रायपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक- 216 रायपुर, सोमवार दिनांक 2 सितम्बर 2002- भाद्र 11 शक 1924

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक डी-4490/479/2002/आजावि- इस विभाग की अधिसूचना डी अधिसूचना क्रमांक डी-4226/479/479/2002/आजावि, दिनांक 16 अगस्त 2002 को अतिष्ठि करते हुये एवं मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000(क्रमांक 28 सन् 2000)की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है।

   (दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य में प्रवृत्त होगा।

2. समय-समय, पर यथा संशोधित ऐसी विधियां, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में थी, एतद् द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुये समत विधियों में शब्द मध्यप्रदेश जहां कहीं भी आए हो के स्थान पर शब्द छत्तीसगढ एवं शब्द भोपाल जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द रायपुर स्थापित किए जाए।

2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कार्रवाई (किसी नियुक्ति अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

परिशिष्ट–एक

मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291 भोपाल, गुरूवार, दिनांक 29 जून 1995–आषाढ़ 8, शके 1917

विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 29 जून 1995

क्रमांक 7150–इबकीरा–अ (प्रा) मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार,
टी.पी.एस. पिल्लई,
अतिरिक्त सचिव

छत्तीसगढ़ अधिनियम
क्रमांक 26 सन् 1995
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995

विषय-सूची

धाराए

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएं

अध्याय 2 राज्य पिछड़ वर्ग आयोग

3. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन।
4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्ते।
5. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।
6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा।
7. रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी।
8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना।

अध्याय 3 आयोग के कृत्य तथा शक्तियां

9. आयोग के कृत्य
10. आयोग की शक्तियां
11. राज्य सरकार द्वारा सूचियों का नियतकालिक पुनरीक्षण

अध्याय 4 वित्त, लेखा और संपरीक्षा

12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान।
13. लेखा तथा संपरीक्षा।
14. वार्षिक रिपोर्ट।
15. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा का विधान सभा के समक्ष रखा जाना।

अध्याय 5 प्रकीर्ण

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
17. सदभावना पूर्वक की गई कार्यवाई का संरक्षण।
18. नियम बनाने की शक्ति।
19. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
20. विघटन तथा व्यावृत्ति ।

छत्तीसगढ़ अधिनियम
क्रमांक 26 सन् 1995
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995

(दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 29 जून, 1995 को प्रथमवार प्रकाशित की गई।)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग का गठन करने तथा संसक्त या अनुशंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 है इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है।

यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं**

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग जो कि राज्य सरकार, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक ए–85, पच्चीस – 4–84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिश्ट किये गये हैं,

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

(ग) "सूची" से अभिप्रेत हैं पिछड़े वर्गों की सूची जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–85, पच्चीस 4–84, तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा तैयार किया गया है।

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य और इसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है।

अध्याय 2 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

3. **राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन**

राज्य सरकार, एक निकाय का गठन करेगी जो छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) तीन अशासकीय सदस्य जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विषेश ज्ञान रखते है जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, परन्तु सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्गों में से होगा।

(ख) संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, छत्तीसगढ़

4. **अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्ते**

1. आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

2. कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबंधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा यथास्थिति अध्यक्ष या, सदस्य का पद त्याग सकेंगा।

3. राज्य सरकार, सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है।

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित है। दोष सिद्ध हो जाता है तथा कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है।

(ग) विकृतचित हो जाता है तथा किसी समक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है।

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

(ड) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किए बिना, आयोग के लगातार तीन सम्मलनों से अनुपस्थित रहता है। या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग करता है। जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना पिछड़े वर्गों के हितों या लोकहित के लिए उपायकर हो गया है परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है।

4. उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा कारित रिक्ति को नया नाम निर्देशन करके भरा जाएगा तथा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के पद की शेष अवधि तक पद धारण करेगा।

5. अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते ओर सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।

5. आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी

1. राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों ओर कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक है।

2. आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्ते ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।

6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा

अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्ययों, जिसकें अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देयक वेतन, भत्ते तथा पेंशन है, को भुगतान धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जाएगा।

7. रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी

आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है।

8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

1. आयोग जब ओर जितनी बार भी आवश्यक हो, अपना सम्मिलन ऐसे समय पर स्थान पर करेगा, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे

2. आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

3. आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय, सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

9. आयोग के कृत्य

1. आयोग का कृत्य होगा कि वह –

(क) पिछड़े वर्गों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें।

(ख) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों में संबंध में सलाह दें।

(ग) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह दे।

(घ) पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करना और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुने और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दे जैसी कि वह उचित समझे।

(ङ) पिछड़े वर्ग में, सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलयेर) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करें।

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए।

2. आयोग की सलाह साधारणतः सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहां सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहां वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगी।

10. आयोग की शक्तितॉं

1. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत् की किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना और,

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

11. राज्य सरकार द्वारा सूचियों का नियतकालिक पुनरीक्षण

1. राज्य सरकार पिछड़े वर्गों की ऐसी सूची में से उन वर्गों के नाम अपवर्जित करने के उद्देश्य से जो पिछड़े वर्ग के नहीं रह गये है। या ऐसी सूची में नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से किसी भी समय पुनरीक्षण का कार्य हाथ में ले सकेगी और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की

समाप्ति पर था उसके पश्चात की दस वर्ष की प्रत्येक पश्चात्वर्ती कालावधि की समाप्ति पर ऐसे पुनरीक्षण का कार्य हाथ में लेगी।

2. राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पुनरीक्षण का कार्य हाथ में लेते समय, आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय 4 वित्त, लेखा और संपरीक्षा

12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान

1. राज्य सरकार, विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में लाई जाने के लिए उचित समझे।

2. आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन के लिए जितनी राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से सदैव व्यय के रूप में माना जाएगा।

13. लेखा तथा संपरीक्षा

1. आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाए।

2. आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी

14. वार्षिक रिपोर्ट

आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्याकलापों का सम्पूर्ण विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

15. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना

राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट को और उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 तथा 11 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया है तो ऐसे अस्वीकार किए जाने के कारणों का, यदि कोई हो, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5 प्रकीर्ण

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता 1960 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

17. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या जानने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई बाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही आयोग किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध नहीं होगी।

18. नियम बनाने की शक्ति

1. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

2. विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात :—

(क) धारा की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्ते।

(ख) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन वह प्रारूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा।

(ग) धारा (14) के अधीन वह प्रारूप जिसमें तथा वंह समय जिसके भीतर वार्षिक तैयार की जाएगी।

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित या जो विहित किया जाए। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

19. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

1. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई अद्भूत होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

2. इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जाएंगा।

20. विघटन तथा व्यावृत्ति

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-12-21 पच्चीस 4-92, तारीख 13 मार्च 1993 द्वारा गठित किया छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग, धारा 3 के अधीन आयोग का गठन होने पर विघटित हो जाएगा।

2. ऐसे विघटन के होते हुए भी, उक्त आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्रवाई या उसकी सिफारिश के अनुसरण में, राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार,
टी.पी.एस. पिल्लई,
अतिरिक्त सचिव

अध्याय - 13

राज्य शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

राज्य शासन द्वारा दिनांक 31-07-2001 तक समावेश करके पिछड़े वर्गों की जातियों, उपजातियों वर्ग समूहों की यथा संशोधित सूची इस प्रकार है

(1) नाम जाति/ उपजाति/ वर्ग समूह	(2) परम्परागत व्यवसाय	(3) कैफियत
1. अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव), बरगाही, बरगाह, ठेठवार,राउत, गोवारी (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत), महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति	"यादव" अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती है व लिखती हैं। यादव राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
2. असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	—
3. बैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है ब्राम्हण जाति के बैरागी इसमें शामिल नहीं किये गये है।
4. बंजारा, वंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धरिया, लभाना, लबाना, लामने	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है नायक ब्राम्हाण शामिल नहीं है।
5. बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई (चौरसिया)	पान उत्पादन व विकय	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते है।
6. बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है।
7. बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	—
8. वसुदेव,वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया, कापड़ी, गोंधली, थारवार	विरूदावली गाना एवं बैल भैंसों का व्यापार करना तथा धार्मिक भिक्षावृति	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है।

नाम जाति / उपजाति / वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
9. भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नहीं है।
10. भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्तमक कविता–पाठ व विरूदावली का गायन करना	–
11. छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर निराली, रंगारी, मनधाव	कपड़ो में छपाई व रंगाई	–
12. ढीमर, भोई कहार, कहरा, धीवर / मल्लाह नावड़ा / तुरहा, कैवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम) कीर (वितिया) सिगरहा, जालारी (जलारनलु बस्तर जिलें मे) सोंधिया	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्आ उगाना पानी भरना, नाव चलाना	बाथम, कश्यप, रायकवार गोपाल की उपजाति है इसी रूप मे सम्मिलित किया गया है जालारी (जलारनलू) बस्तर इलाके में पाई जाती है।
13. पंवार, पोवार, भोयर, भोयार	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार / पवार राजपूत शामिल नहीं है
14. भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	–
15. भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राम्हाण है, सूची में शामिल किया गया है।
16. भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करना है।	–
17. चुनकर, चुनगर, कुलवंधया, राजगीर	चूना, गारा का कार्य करने एवं भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना	–
18. चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना	–
19. दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	
20. धोबी, बट्ठी, बरेठा,, बरेठ, रजक,	कपड़ा साफ करना	–
21. मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राम्हाण नहीं है

नाम जाति/ उपजाति/ वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
22. किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
23. **गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी, (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया, (पाल, बघेले)**	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियां को पाल व बघेले गड़रिया जाति की उपजाति के रूप में शामिल है बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं है।
24. **कडेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार**	कपास की रूई धुनना का कार्य कराना कड़ेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते है।	–
25. **कोष्टा, कोष्टी (देवांगन) कोष्टा, माला पदमशसाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, दवांग, जन्द्रा कोश्काटी, कोस्काटी (लिंगायत) गढ़वाल, गढेवाल, गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी,**	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर एवं कोल्हाटी वर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन भी करते है।
26. **धोली / डफली / डफाली / ढोली, दमामी, गुरव**	गांव पुरोहित का कार्य शिवमंदिरों में पूजा एवं उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती है।	इस समूह में ब्राम्हाण समूह शामिल नहीं है।
27. **गुसाई, गोस्वामी**	धार्मिक, भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती	ब्राम्हाण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है।
28. **गूजर (गुर्जर)**	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं है।
29. लोहार, लुहार, लोहपीटा, गडोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गडोला, लोहार, (विश्वकर्मा)	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राम्हाण वर्ग सम्मिलित नहीं है।
30. गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास	गारपागारा ओलावृष्टि फसल की रक्षा का कार्य करते है। जोगी व इस समूह के अन्य जातियों धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते है।	"जोगी" धार्मिक भिक्षावृत्ति करते है लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हाण हैं वे शामिल नहीं है।

नाम जाति/ उपजाति/ वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
31. घोषी	भैंस पालन व पशुपालन	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं है।
32. सोनार, सुनार झाणी, झाड़ी, (स्वर्णकार), अवधिया, औधिया सोनी, (स्वर्णकार)	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण गढ़ने व बनाने का कार्य करना	इस समूह में सोना–चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेल्स सम्मिलित नहीं है।
33. (अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा) पनारा, मुराई सोनकर (ब) माली (सैनी) मरार	शाक–सब्जी उत्पादन व साक–सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी	"कुशवाहा" काछी कोयरी व कोईरी जाति की उपजाति है । काछी जाति की शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं ।
34. जोशी, (भड्डरी), डकोचा, डकोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोषी जाति के लोग करते है। जोशी ब्राम्हाण इसमें शामिल नहीं है।
35. लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करना, कांच की चूड़ियां बेचना	–
36. ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया	तांबा पीतल, व कांसा के बर्तन बनाना	–
37. खातिया, खाटिया, खाती	कृषक	–
38. कुम्हार, (प्रजापति) कुंमार,	मिट्टी के बर्तन बनाना	–
39. कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी (गवैल) गमैल सिरवी	कृषक, कृषि मजदूरी	–
40. कमरिया	पशुपालन व दुग्ध विक्रेता	–
41. कौरव, कांवरे	कृषक	–
42. कलार (जायसवाल) कलाल, ड्डसेना	मंदिरा (शराब) बेचना	–
43. कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	–
44. लोनिया, लुनिया, ओड़, ओडे, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना	–
45. नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास) म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे, नाई की उपजातियों के रूप में सम्मिलित की गई है।

नाम जाति/ उपजाति/ वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
46. नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	–
47. पनका, पनिका	मजदूरी करना गांव की चौकी दारी करना, बुनकर	–
48. पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े व सूत बनाना	जैन धर्म के लोगो को छोड़कर
49. लोधी, लोधा, लोध	कृषक	–
50. सिकलीगर	शस्त्रों की सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना	–
51. तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरने एवं बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को साहू व राठौर कहते हैं इन्हें तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
52. तुरहा, तिरवाली, बड्डर	मिट्टी खोदने का काम करना पत्थर तरासना	–
53. किसडी, कसडी	नाच–गाकर मनोरंजन करने वाले	–
54. वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति "कोरकू" की उप जाति है
55. रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थी	सरगुजा तथा जशपुर क्षेत्र में पाई जाती है।
56. मानकर, नहाल	जंगली जनजाति , मजदूरी करना	मानकर की उपजाति "निहाली" अनुसूचित जनजाति में शामिल है।
57. कोटवार, कोटवाल	ग्राम चौकीदारी	–

नाम जाति/ उपजाति/ वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
58. खैरूवा	कत्था बनाना	"खैरूवा" खैरवार की उपजाति है "खैरवार" अनुसूचित जनजाति में शामिल है।
59. लोढ़ा (तंवर)	कृषिक, मजदूरी लकड़ी बेचकर, जीवन यापन करना	–
60. मोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जनजाति
61. रजवार	कृषक एवं कृषि मजदूरी	–
62. अघरिया	कृषक एवं कृषि मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है।
63. तिऊर तुरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना , नाविक , बांस एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना	
64. भारूड़	पशुओं की देखरेख पीठ पर लादकर माल ढोना	मुगलकाल में फौजी रसद ढोने का कार्य भी करते थे
65. सुत सारथी–सईस,सहीस	घोड़े की देखरेख, घोडागाड़ी हांकना	–
66. तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलुगु भाषी है विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती है।
67. राघवी	कृषि कार्य करना	–
68. रजभर	कृषि मजदूरी	–
69. खारोल	कृषि मजदूरी	–
70. सरगरा	ढोल बजाना	–
71. गोलान, गवलान, गौलान	गाय भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना	–
72. रज्जड़, रजझड़	कृषि मजदूरी	–
73. जादम	कृषि मजदूरी	–
74. दांगी	कृषक	"दांगी" राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।
75. गयार/परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं

नाम जाति/ उपजाति/ वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
76. कुड़मी	कृषक	—
77. मेर	कृषि मजदूर	—
78. बाया महारा/कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशतः/दुर्ग जिले में निवास करते है।
79. पिंजारा (हिन्दू)	—	—
80. विलापित	—	—
81. अनुसूचित जातियां, जिन्होने ईसाई, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है ।	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व से आ रहे है।	अनुसूचित जातियों जिन्होंने ईसाई व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया है।
82. आंजना 83. थोरिया 84. गेहलोत, मेवाड़ा 85. रेवारी 86. रूआला/रूहेला	—	—

मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह

87. (1) रंगरेज	कपड़ों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
(2) भिश्ती	पानी भरने का काम	हिन्दूओं की कहर जाति के समान व्यवसाय
(3) छीपा	कपड़ो में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहतर जाति के समान व्यवसाय
(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	—
(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दूओं की धोबी जाति के समान व्यवसाय
(7) मेवाती	कृषि पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान व्यवसाय
(8) पिंजारा, नददाफ,फकीर बेहना धुनिया, धुनकर, फकीर,	रई धुनाई का कार्य	हिंदुओं की कडेरा जाति के समान
(9) कुंजड़ा, राईन	साग–सब्जी फल आदि बेचना	हिन्दूओं की काछी जाति के समान साग सब्जी का कार्य

नाम जाति/ उपजाति/ वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(10) मनिहार	कांच की चूडियां व बिसात खाने का सामान बेचना	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान व्यवसाय
(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दू खटिक जाति के समान धंधा
(12) मिरासी	विरूदावली, यशोगान का वर्णन	हिन्दू भाट जाति की तरह पेशा
(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दूओं की मिरधा जाति की तरह व्यवसाय
(14) बढ़ाई (कारपेन्टर), खरादी, कमलीगर	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम	हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा करने वाले
(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दू नाई जति के समान पेशा करने वाले
(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	–
(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोष्टा/कोष्टा के समान पेशा
(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दूओं की लुहार/लोहार जाति की तहर पेशा करने वाले
(19) तड़वी	कृषि कार्य	–
(20) बंजारा	धुमक्कड़ जाति/समूह बैल गाड़ी? से समान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय	हिन्दूओं में बंजारा जाति के सामान व्यवसाय
(21) मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना	हिन्दूओं में चमार जाति के समान व्यवसाय
(22) तेली, नायता, पिंडारी, पिंडारा कांकर	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले
(23) पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	–
(24) कलईगर	बर्तनों में और अन्य सामान में कलई करना	–
(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ों के पैरो में नाल बाधने का कार्य	–
(26) शीशगर	–	

नाम जाति/ उपजाति/ वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(27) गोली (28) राजगीर (29) डफाली (30) धोबी व गवली, गोली (31) सिकलीगर (32) संतरास (33) नट (34) शेख मेहतर	–	–
~~88. बैसवार~~ 89. शौंडिक / सूण्डी , सूडी एवं सोढी ~~90. बिश्नोई, जाट~~ 91. पोबिया	–	–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेश अनुसार
अमर सिंह
प्रमुख सचिव

(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस सूची का अनुकूलन किया गया है।)

परिशिष्ट – 19

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2002

क्रमांक/डी–4221/944/2003/ आ.जा.वि. राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 6–1/2001/54–1 भोपाल, दिनांक 17.01.2001 द्वारा अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन, पिछड़ा वर्ग सलाहकार मण्डल की बैठक दिनांक 3 सितम्बर, 2001 में लिए गए निर्णय अनुसार शौण्डिक सुण्डी, सूंडी एवं सोढी जाति को पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 89 में सम्मिलित करता है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	शौण्डिक, सुण्डी, सुडी, सोढी	मंदिर बनाना एवं बेचना	यह जाति मुख्य : रायपुर, बस्तर, धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़ जिलों में पाई जाति है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार

(ए.के. द्विवेदी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

क्रमांक/डी–4222/944/2002/आजावि   रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2002

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. शासन के समस्त विभाग
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त आयुक्त, छत्तीसगढ़
5. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
6. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसुचित जाति विकास विभाग, रायपुर
7. समस्त परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, छत्तीसगढ़
8. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़
9. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कृपया असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(आर.एस.ठाकुर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

परिशिष्ट - 20

छत्तीसगढ़

आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक 9 अगस्त, 2002

क्रमांक/डी-4111/3136/3662/2002/आजावि : राज्य शासन एतद् द्वारा पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित "राऊत" गोवरी के पश्चात् "रावत" को तथा सरल क्रमांक 33 (ब) पर सम्मिलित "माली (सैनी)" मरार जाति के पश्चात् "पटैल" (हरदिहा मरार) को निम्नानुसार विवरण के साथ शामिल करने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र.	जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	रावत	पशुपालन, दुग्ध विक्रय तथा जाजमानी प्रथा के अंतर्गत गाय बैल, भैस आदि पशु चुराना	ब्राम्हाण रावत तथा राजपूत शामिल नहीं है।
2.	पटैल (हरदिहा मरार)	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-भाजी तथा फूल उत्पादन तथा बागवानी	गांव के मुखिया - पटेल पद तथा अघरिया, धाकड़ आदि अन्य जाति जो पटेल उपनाम लिखते है शामिल नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

क्रमांक/डी-4222/944/2002/आजावि रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2002

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. शासन के समस्त विभाग
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त आयुक्त, छत्तीसगढ़
5. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
6. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसुचित जाति विकास विभाग, रायपुर
7. समस्त परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, छत्तीसगढ़
8. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़
9. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कृपया असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(आर.एस ठाकुर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

परिशिष्ट – 21

छत्तीसगढ़
आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक 31 जुलाई, 2002

क्रमांक/डी–3599/1109/2003/आजावि : राज्य शासन घोषित जाति को पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में सरल क्रमांक 91 में सम्मिलित करता है विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	पोबिया	खेती मजदूरी	यह जाति रायगढ़ जिलें में निवास करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(ए.के. द्विवेदी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

क्रमांक/डी–4222/944/2002/आजावि रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2002

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. शासन के समस्त विभाग
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
6. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कृपया राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. आर्डर बुक

(आर.एस.ठाकुर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

अध्याय -14

छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनाएं

1. राज्य छात्रवृत्ति

पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 6वीं से 10वीं तक अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत उन छात्र–छात्राओं को लाभ मिलता है, जिनके पिता/पालक आयकर दाता नहीं है एवं 10 एकड़ से कम जमीन है। 6 वीं से 8वीं के छात्राओं को 150 व छात्राओं को 225 एवं 9वीं से 10वीं के छात्रों को 225 एवं छात्राओं को 300 की छात्रवृत्ति 10 माह के लिए दी जाती है। वर्ष 2007–08 में रूपये 17.30 करोड़ के बजट का प्रावधान है। इस योजना से लगभग 8.50 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

2. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 11वी एवं उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति उन छात्र–छात्राओं को दी जाती है जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय 25,000 रूपये से अधिक न हो। वर्ष 2007–08 के बजट में 1200.00 लाख रूपये का प्रावधान है। इस योजना से लगभग 1.00 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

3. प्रावीण्य छात्रवृत्ति

पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु इस योजना के तहत् प्रत्येक जिले में पिछड़ा वर्ग के 5वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता एक बालक बालिका को 40 रू. प्रतिमाह व 8वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता बालक–बालिका को 50 रू. प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये प्रावीण्य छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2007–08 में 0.75 लाख रूपये की स्वीकृति दे कर 162 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

4. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय

इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाती है। वर्ष 2007–08 में इस योजना में .34462 छात्राओं की लाभान्वित किया गया है। कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राओं को राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तक वितरीत की जाती है।

5. पिछड़ा वर्ग छात्रावास

इस योजना में पिछड़ा वर्ग के लिये क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ दुर्ग में पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास संचालित है, जिसमें कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर तक की छात्राएं प्रवेश पाती है। इन छात्रावासों में कुल 300 सीट स्वीकृत है। चालू वर्ष में 150 छात्राएं प्रवेशित है। इसी तरह जिला, मुख्यालय कवर्धा में 50 सीट की प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास संचालित है, जो 50 सीट की है। चालू वर्ष में 27 छात्र प्रवेशित है।

6. हाईस्कूल की बालिकाओं को सायकल प्रदाय

वित्तीय वर्ष 2007–08 में पिछड़ा वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की ऐसी बालिकाओं को सायकल वितरण का निर्णय लिया गया जो कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हैं। प्रकिया जारी है ।

7. नाई पेटी का प्रदाय

नाई पेटी योजना के वर्ष 2006–07 से संचालित है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत रूप से नाई के काम करने वाले व्यक्तियों को नाई पेटी व सेलून किट्स प्रदान किया जाता है। ग्रामों में 500 जनसंख्या तक एक हितग्राही व 500 से ऊपर की जनसंख्या में दो हितग्राही को लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 2006–07 में 9600 परिवारों को नाई पेटी वितरित की गई।

8. दामाखेडा का समन्वित विकास . योजना अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में 10 लाख का प्रावधान किया गया है जिसमें दामाखेडा ग्राम के विकास हेतु व्यय किया जा रहा है ।

9. पायलट प्रशिक्षण योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के तीन युवकों को निःशुल्क पायलट प्रशिक्षण की योजना वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की गई है। चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है यथाशीघ्र प्रारंभ होगा ।

10. रोजगार मूलक योजनाएं :– पिछड़े वर्गो के बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार स्थापित कर अपने पैरों में खड़ा करने के लिए अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा निम्नांकित कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है :–

1. कृषि एवं संबंधित क्षेत्र ।
2. लघु व्यापार/ दस्तकारी एवं पारम्पारिक व्यवसाय ।
3. सेवा क्षेत्र ।
4. परिवहन सेवाएं इत्यादि ।

उद्देश्य :- 1. पिछड़े वर्गों के लाभ के लिये आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।

2. पिछड़े वर्गों के लिए स्वतः रोजगार तथा अन्य कार्य के अवसरों को प्रोत्साहित करना।

3. गरीबी रेखा तथा दोहरी गरीबी रेखा के नीचे के पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों हेतु चयनित मामलों में रियायती वित्त उपलब्ध करना।

4. पिछड़े वर्गों को स्नातक एवं उच्चतर स्तरों पर सामान्य/ व्यावसायिक/ तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु ऋण प्रदान करना।

उपरोक्त कार्य क्षेत्रों / उद्देश्यों के लिये पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक- युवतियों में निम्नानुसार योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर ऋण सुविधा के माध्यम से दिए जाते हैं।

1. सावधी ऋण योजना- पिछड़े वर्ग के लिए इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 85% अधिकतम 5 लाख रूपये प्रति लाभार्थी ऋण दिया जाता है।

2. मार्जिन मनी - इस योजना में परियोजना लागत का 40% अधिकतम 2 लाख रूपये प्रति लाभार्थी ऋण दिया जाता है।

3. माइक्रो फाइनेंस योजना - यह योजना तृणमूल स्तर पर लागू करने एवं लक्षित वर्ग विशेष कर महिला लाभार्थियों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा प्रति लाभार्थी 25,000 रूपये है।

4. नई स्वर्णिमा - पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्म निर्भरता की भावना जागृत करने हेतु निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिलाओं के लिए संचालित की गई है।

5. शैक्षणिक ऋण योजना - पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों जो दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को स्नातक एवं उच्च्व स्तर पर सामान्य/ व्यवसायिक / तकनीकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक ऋण प्रदान किया जाता है।

6. स्वयं सक्षम योजना - पिछड़े वर्ग के उन युवाओं में जिन्होने व्यवसायिक शिक्षा/ प्रशिक्षण प्राप्त किया है, स्वरोजगार के माध्यम से अपने अनुभव एवं बौद्धिक कौशल का उपयोग करते हुए आत्म निर्भरता की भावना पैदा करने के लिये लक्षित वर्ग के युवाओं को ऋण दिया जाता है।

7. महिला समृद्धि योजना - पिछड़े वर्ग की पात्र महिलाओं को लघु ऋण प्रदान करने हेतु यह योजना लागू की गई है। यह योजना एस.सी.ए. द्वारा शहरी एवं ग्रामीण सभी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन- यापन करने वाली महिलाओं के स्व- सहायता समूहों के माध्यम से कार्यान्वित की गई है।

8. प्रशिक्षण योजना - पिछड़े वर्गों के सदस्यों को तकनीकी एवं उद्यमिता दक्षता के प्रोन्नति हेतु निगम द्वारा परियोजना संबद्ध प्रशिक्षण हेतु वित्त सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य लक्षित वर्ग को पारंपरिक एवं तकनीकी व्यवसायों एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उपयुक्त तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर योग्य एवं निर्भर बनाना है।

9. विपणन संयोजन - समय-समय पर राज्य के पिछड़े वर्गों के कारीगरों द्वारा तैयार की गई उत्पादित वस्तुओं को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला, प्रगति मैदान, दिल्ली हाट एवं सूरज कुण्ठ क्राफ्ट मेले में प्रदर्शनी का अवसर प्रदान कराकर अन्य विकासात्मक कार्यकलापों को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

अध्याय - 15

छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्गों के सर्वेक्षण के लिए उठाए गए कदम

प्रदेश में निवासरत पिछड़े वर्गों के लोगों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान हेतु राज्य सरकार के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोगों को संवैधानिक अधिकारों के हितप्रहरी का दायित्व निर्वहन करते हुए कार्य प्रारंभ किया है। आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती संपूर्ण छ.ग. राज्य में फैले हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 52% जनसंख्या को उनके अधिकार व न्याय दिलाने के संबंध में एक आधार गत चुनौती थी। जिसे आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में उचित ढंग से निर्वहन करते हुए इस दिशा में सर्वप्रथम जन-जन तक आयोग के कार्यों का प्रचार-प्रसार किया गया। इस कड़ी में नवगठित आयोग ने एक वर्ष के कार्यकाल में सबसे पहला कदम संपूर्ण छ.ग. राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के जनसंख्या का निर्धारण करने की ओर बढ़ाया जिसके लिए छ.ग. राज्य में सर्वेक्षण जैसा प्राथमिक कदम उठाना आवश्यक था।

सर्वेक्षण किसका हो :- छ.ग. राज्य में कुल 18 जिलों में वर्तमान में कितनी जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग की निवास कर रही है। इस जनसंख्या में कितनी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां, उप जातियां निवासरत है एवं उनके शिक्षा का प्रतिशत किस स्तर पर कितना है। सर्वेक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जायेगा कि छ.ग. में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों में सामाजिक राजनैतिक व आर्थिक विकास का स्तर किस प्रकार से बढ़ रहा है।

सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों :- सबसे महत्वपूर्ण कार्य सर्वेक्षण के माध्यम से नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करना है। वर्ष 2000 में म.प्र. से विभाजन के उपरांत छ.ग. राज्य ने म.प्र. द्वारा तैयार की गई सूची को अनुकूल करते हुए कार्य किये है। म.प्र. व छ.ग. की संयुक्त सूची में कुछ जातियां ऐसी है जिस जाति के लोग म.प्र. के जिलों में निवासरत है। कुछ जातियां बटवारे में छ.ग. राज्य में निवासरत है। जिनका नाम आज भी म.प्र. के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है। अतः सर्वेक्षण के माध्यम से म.प्र. व छ.ग. की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची का नवीनीकरण जैसा महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होगा। साथ ही साथ राज्य के बेरोजगार युवाओं को जीवन-यापन हेतु कार्य प्रदान किया जा सकेगा।

सर्वेक्षण प्रक्रिया क्या होगी ? - सर्वेक्षण हेतु दिनां 18.01.08 की बैठक में आयोग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के विज्ञापन के साथ समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन देकर बेरोजगार नवयुवक व युवतियों एवं गैर सरकारी संगठनों को इस कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा। इस कार्य हेतु उनसे निर्धारित प्रपत्र में कार्य का विवरण प्राप्त किया जायेगा। तदउपरांत आयोग को प्राप्त बजट में से कार्य व जिले निर्धारित करते हुए आवेदकों से सर्वेक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त बिंदुओं के मद्देनजर व्यापक प्रचार- प्रसार बाबत एक प्रेस विज्ञप्ति खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। जिस पर छ.ग. राज्य के सुदूरतम जिलों जैसे कोरिया, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा से भी त्वरित प्रतिक्रिया स्वरूप आवेदन पत्र प्राप्त हुए। छ.ग. राज्य नवगठित राज्य है। इसी कारण आठ वर्ष बाद भी अविभाजित म.प्र. एवं छ.ग. की पिछड़े वर्गों की सूची एक ही है। जिसका अलग-अलग निर्धारण नहीं हो पाया है। चूंकि आयोग गठित हुए मात्र एक वर्ष हुए हैं और इस दिशा में आयोग ने समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बात जनमानस तक पहुंचाई है कि अभी हमें यह पता करना अनिवार्य है कि छ.ग. में कुल कितने प्रकार के पिछड़े वर्गों की जाति निवास करती है ?

इस कार्य के लिए प्रारंभिक तौर पर कलेक्टरों को पत्र भेजकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग के द्वारा लिखा गया है , क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है। अतः आयोग ने दिनांक 18-01-08 की बैठक में पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। इस बाबत बजट हेतु छ.ग. शासन एवं राष्ट्रीय आयोग भारत सरकार को पत्र भेजकर अनुशंसा की गई है। जिसके प्राप्त होने पर आयोग इस चुनौती पूर्ण कार्य को कर सकेगा।

उल्लेखनीय है कि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद प्रसाद के द्वारा दिनांक 19-7-2006 को अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 20012/1/2002 के तहत राज्य में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक जनसंख्या तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या ज्ञात करने हेतु वृहद सर्वेक्षण कराये जाने का उल्लेख है। अतः उक्त सर्वेक्षण में लगने वाले मैनपावर, राशि तथा समयावधि के संबंध में जानकारी एकत्र किया जाकर भारत शासन को अवगत कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस दिशा में आयोग को पूर्ण सफलता की उम्मीद है।

माननीय सदस्यों के विचार एवं अनुभव

अपनों से अपनी बात - डॉ. सोमनाथ यादव

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य बनने के पूर्व राज्य के विभिन्न आयोगों के संबंध में पढ़ता- सुनता था तो लगता था कि इन आयोगों का क्या महत्व है? हर राजनैतिक दल अपने लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से आयोगों का गठन कर ढेरों लोगों को सदस्य नियुक्त कर देते हैं और काम कुछ नहीं होता, उद्देश्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता इत्यादि। आयोगों के संबंध में अन्य लोगों की भांति उक्त विचार मेरे भी थे।

मेरा नाम 28 फरवरी 2008 के समाचार पत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बनाये जाने का समाचार अन्य नियुक्त सदस्यों के नाम के साथ छपा था। सुबह- सुबह शुभचिंतकों के दूरभाष से ज्ञान हुआ कि मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया गया है।

आयोग के संबंध में मेरे विचार यथार्थ से परे बिखरे हुए थे। मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया गया जिसके संबंध में अन्य आयोग की भांति उसके उद्देश्यों के प्रतिकूल विचार थे, अतः थोड़ा संकोच हुआ किंतु नई जवाबदारी ने उमंग- उत्साह भी भरा।

10 मार्च 08 को आयोग कार्यालय में मुझे श्री राजेश मूणत छ.ग. शासन के मुख्य आतिथ्य में आयोग के अध्यक्ष श्री नारायण चंदेल ने पदभार ग्रहण की औपचारिकता पूर्ण कराई। उस समय बिलासपुर के वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकारगण के साथ मेरे घनिष्ठ मित्रों की उपस्थिति व उनके चेहरे में दिख रही खुशी के अहसास को मैं अनुभव कर रहा था, मेरे से ज्यादा प्रसन्नता उनको हुई। वही बिलासपुर के साहित्यकार, कलाकार , सामाजिक व परिवारिक जनों के साथ छसीसगढ़ के कोने-कोने में निवासरत , मित्रों व शुभचिंतकों के द्वारा कई दिनों तक लगातार बधाई व शुभकामनाओं का संदेश आना मेरे लिये सुखद अनुभव रहा। और उसके बाद चला सम्मान, अभिनंदन का दौर जो अभी तक जारी है। तब मुझे अहसास हुआ कि कोई भी पद छोटा- बड़ा नहीं होता , जवाबदारी अगर मिली है तो कुछ न कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही मिला है। और फिर मैं पूर्व की तरह नई जवाबदारी को निभाने हेतु तैयार हो गया।

सकारात्मक सोच व कर्म को महत्व देने के फलस्वरूप 40 वर्ष की आयु में मुझे यह महत्वपूर्ण दायित्व मिला। इससे मुझे और मेरे परिचितों को खुशी तो हुई किंतु आश्चर्य जरा भी नहीं हुआ। वजह सभी जानते हैं कि इसके पूर्व भी मुझे अनेक दायित्व, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है।

माननीय डा. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री छ.ग. शासन जिनके कारण यह महत्वपूर्ण दायित्व मिला उनके लिये मेरे पास कृतज्ञता के लिये शब्द नहीं है। आदरणीय राम प्रताप जी (प्रदेश संगठन मंत्री), श्री बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री छ.ग. शासन , श्री अमर अग्रवाल जी मंत्री छ.ग. शासन, मेरे अभिभावक श्री मूलचंद खंडेलवाल जी पूर्व मंत्री, सहित उन तमाम शुभचिंतकों के प्रति आभार मानूंगा जिनके आशीर्वाद व सहयोग से मैं इस मुकाम तक पहुंचा। मुझे गर्व है कि इन महानुभावों का पग-पग में मार्गदर्शन मिलता है।

10 मार्च 08 के दिन से आज तक मैने पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु तथा आयोग के उद्देश्य व कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने हेतु पिछड़ी जातियों के निवास स्थान तक जाने के लिये प्रवास करना प्रारंभ किया। शुरूआत मुंगेली, जिला- बिलासपुर से हुई। यादव समाज व अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों से चर्चा के साथ साथ अ.भा. कवि सम्मेलन में अतिथि के रूप में शामिल हुआ। नये पुराने चेहरों से मेल- मुलाकात के बीच आयोग के कार्यों की जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं से भी रूबरू हुआ।

बिलासपुर में बिलासा कला- मंच (छत्तीसगढ़ की संस्कृति,साहित्य, कला के लिये गत 20 वर्षों से कार्य करने वाली प्रतिनिधि संस्था है), छत्तीसगढ़ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, बिलासपुर यादव समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग ,भारत स्काउट्स गाइडस छ.ग. सहित अनेक सामाजिक संगठनों, संस्थाओं के द्वारा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन सभी आयोजनों में विभिन्न दलों के राजनेता, पदाधिकारीगण व प्रबुद्धजन शामिल होकर मुझे गौरवान्वित किया।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रथम बैठक 28 मार्च 08 को रायपुर कार्यालय में अध्यक्ष श्री नारायण चंदेल की अध्यक्षता में हुई। बैठक के पूर्व राज्यपाल महोदय से भेंट कर पिछड़ी जातियों के उत्थान बाबत मांग पत्र सौंपी गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा व अनुशंसा के अलावा कुनबी जाति के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा व सुनवाई हुई। 5 अप्रैल 08 को बिलासपुर में हलवाई समाज व केशरवानी समाज के पदाधिकारियों से भेंट , चर्चा व आवेदनों पर जन सुनवाई में शामिल हुआ। तदुपरांत 8 अप्रैल 08 को रायगढ़ प्रवास में विभिन्न समाज के पदाधिकारियों से भेंट, चर्चा, पत्रकार वार्ता के साथ क्षेत्रीय पत्रकार सम्मेलन में अतिथि बतौर शामिल हुआ। 14 अप्रैल 08 को पिछड़ा वर्ग छात्रावास बिलासपुर में डा. अम्बेडकर जी की जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ।

16 अप्रैल 08 को जगदलपुर के जिलाधीश कार्यालय में प्रतिदिन आयोजित प्रार्थना सभा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के बाद स्थानीय समाज व संगठनों के पदाधिकारियों से भेंट एवं बैठक कर आयोग के कार्यों की जानकारी देते हुए उनके सुझावों व समस्याओं पर चर्चा की गई तत्पश्चात दोपहर को दंतेवाड़ा में पत्रकार वार्ता तथा विभिन्न संगठनों व समाज के लोगों से चर्चा , भेंट किया।

19 अप्रैल 08 को बिलासपुर में यादव समाज की बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों की जानकारी देते हुए राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु किये जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिया।

2 मई 08 को बलौदा जिला जांजगीर- चांपा में सामाजिक संगठनों से भेंट, चर्चा के बाद अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ।

3 मई 08 को कटघोरा में समाज प्रमुखों से भेंट कर आयोग के कार्यों की जानकारी दी। इसी दिन शाम को अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता के बाद विभिन्न समाजों एवं संगठनों से भेंट चर्चा की।

4 मई 08 को शंकरगढ़ में क्षेत्रीय यादव सम्मेलन में अतिथि के रूप में शामिल हुआ। तत्पश्चात राजपुर में स्थानीय लोगों से भेंट चर्चा उपरांत 5 मई 08 को बतौली में स्थानीय समाज प्रमुखों व यादव समाज के प्रमुखों की बैठक कर आयोग के द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी और राज्य शासन द्वारा पिछड़ी जातियों के कल्याण हेतु किये जा रहे योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी।

31 मई 08 को मुख्यमंत्री निवास रायपुर पर छ.ग. भारत स्काउट्स , गाइड्स के द्वारा आयोजित 1857 की क्रांति पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुआ तथा एस. डब्ल्यू. व्ही. अवार्ड से माननीय मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित हुआ।

26 मई 08 को बिलासपुर में आयोग के उद्देश्यों एवं अब तक किये गये जन कार्यों को लेकर पत्रकार वार्ता किया। 27 मई 08 को भिलाई में छत्तीसगढ़ हिन्दी साहित्य परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में वक्ता के रूप में शामिल हुआ। 29 मई 08 को पथरिया जिला बिलासपुर में क्षेत्रीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि बतौर शामिल हुआ। 2 जून 08 को संस्कृति विभाग द्वारा बिलासपुर में आयोजित आकर 08 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल।

7 जून 08 को बिरकोना, जिला बिलासपुर में क्षेत्रीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि बतौर

शामिल हुआ। 14 जून08 को बिलासा कला मंच बिलासपुर द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या में अतिथि बतौर शामिल। 15 जून 08 को आकर 08 के समापन कार्यक्रम में शामिल। 17 जून 08 को मुंगेली जिला बिलासपुर में मलहा जाति तथा यादव समाज की बैठक में शामिल।

19 जून 08 को मुंगेली, पाण्डातराई जिला बिलासपुर, कवर्धा एवं गंडई, जिला नांदगांव में निवासरत मलहा जाति के प्रमुखों से भेंट, चर्चा व जन सुनवाई में शामिल।

27 जून 08 को रायपुर में राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल। 28 अगस्त 08 को बिलासपुर में प्रयास प्रकाशन व विकास संस्कृति मंच द्वारा आयोजित विमोचन समारोह में अतिथि बतौर शामिल। 29 अगस्त 08 को रत्नदेव साहित्य संस्कृति समिति रतनपुर द्वारा आयोजित सम्मान समारोह एवं गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल है।

6 जुलाई 08 को छत्तीसगढ़ कसौधन गुप्ता समाज द्वारा रतनपुर में आयोजित सामूहिक आदर्श विवाह में कार्यक्रम अध्यक्ष बतौर शामिल। 8अगस्त 08 को छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स गाइडस रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल। 12 जुलाई 08 बिलासपुर में बिलासा कला मंच द्वारा आयोजित पावस गोष्ठी एवं सम्मान समारोह में अतिथि बतौर शामिल।

17 जुलाई 08 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय नई दिल्ली में सौजन्य भेंट। 18 जुलाई 08 को संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में चंदैनी पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी व मंचन कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में शामिल। 21 जुलाई 08 को बिलासपुर जिला स्काउट्स गाइड्स की वार्षि बैठक में बतौर अतिथि शामिल।

25 जुलाई 08 को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर में बैठक में शामिल जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा व अनुशंसा की गई। 28 जुलाई 08 को आयोग कार्यालय में श्री आई.पी. यादव (पथरिया) विरूद्ध थाना पथरिया पर सुनवाई। 30 जुलाई 08 को बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हिन्दी साहित्य परिषद द्वारा आयोजित प्रेमचंद जयंती पर अतिथि बतौर शामिल।

03 अगस्त 08 को बिलासपुर में सिकलीगर (सिख) समाज द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि बतौर शामिल। इसी दिन बिलासपुर यादव समाज के कार्यक्रमों के साथ एरिना एनिमेशन द्वारा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम व प्रतियोगिता में अतिथि व जज बतौर शामिल हुआ। शेष अन्य तिथियों पर आयोग कार्यालय में आयोग के कार्यों पर सहयोग प्रदान किया।

अंत में मैं अध्यक्ष श्री नारायण चंदेल जी, सदस्यगण डॉ. गणेश कौशिक जी, श्री लोचन पटेल जी, श्री प्रहलाद रजक जी, श्री देवेन्द्र जायसवाल जी, श्री नंद कुमार साहू जी, सचिव श्री बद्रीश सुखदेवे जी, अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता डेकाटे, श्री एस.एल.साहू, श्री नीलकांत पटेल, श्री उत्तरा पटेल, श्री बिरेन्द्र यादव सहित आयोग के अन्य सभी कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिनके स्नेह और सहयोग से पांच माह बहुत अच्छा बिता। आयोग के द्वारा अब तक के काम काज पर केंद्रित पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है जो निश्चित ही आगे के लिए दशा- दिशा तय करेगी और उसमें हमें और आयोग को पिछड़ा वर्ग समाज समझने की कोशिश ही नहीं करेंगी बल्कि आयोग के कार्यों को पिछड़ी जातियों के लोगों तक पहुंचाने में मदद भी करेंगी।

जय छत्तीसगढ़ , जय जोहार !

डॉ. सोमनाथ यादव
सदस्य

देवेन्द्र जायसवाल की कलम से

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य के रूप में 10 मार्च 2008 को पदभार ग्रहण करने पश्चात, विभिन्न जिला एवं तहसील का भ्रमण कर पिछड़ा वर्ग के सामाजिक पदाधिकारियों एवं इस वर्ग आम जनता से मुलाकात एवं जन सुनवाई किया।

25 मार्च 2008- जिला महासमुंद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिथौरा में आयोजित कलार समाज के सम्मेलन जहां पर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी मुख्य अतिथि थे वहां पर शामिल हुए तथा पिछड़े वर्ग के लोगों से संपर्क किया गया जहां पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण गठन किए जाने की मांग की गई।

28 मार्च 2008- आयोग द्वारा निर्धारित बैठक में शामिल हुआ उक्त बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री नारायण चंदेल जी ने की जिसमें कुर्मी समाज के आवेदन पर जन सुनवाई कर पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। सरदार पटेल के जन्म दिन 21 अक्टूबर को पिछड़ा वर्ग दिवस के रूप में मनाने व पिछड़ा वर्ग कल्याण कोष बनाने के लिये भी छ.ग. शासन के प्रस्ताव भेजा गया।

29 मार्च 2008 - नाथयोगी समाज द्वारा आयोग को आवेदन प्राप्त हुआ था की उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जावें जिसके संबंध में उनके निवास क्षेत्र बालोद जिला दुर्ग का भ्रमण किया तथा उनके रहन सहन का अध्ययन किया साथ में सम्मानीय सदस्य श्री प्रहलाद रजक जी थे उनके साथ डौंडीलोहारा में आयोजित धोबी समाज के सम्मेलन व ग्राम पुरूर में आयोजित कलार समाज के सम्मेलन में भाग लिया।

7 अप्रैल 2008 -को पाटन तहसील जिला दुर्ग के ग्रामों का भ्रमण किया तथा वहां पिछड़ा वर्ग के सामाजिक व्यक्तियों से संपर्क किया। 14 अप्रैल 2008 को आयोग द्वारा कार्यक्रम के अनुसार दुर्ग में स्थित पिछड़ा वर्ग के कन्या छात्रावास में आयोजित डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के जयंती में सम्मानीय सदस्य श्री लोचन पटेल जी के साथ शामिल हुआ वहां उनके जीवनी पर आयोजित संगोष्ठी में अपना विचार रखा तथा छात्रावास का निरीक्षण किया जहां पर छात्रावास के भवन की आवश्यकता महसूस की गई छात्रावास के भवन निर्माण हो रहा है लेकिन कार्य संपर्क कर शीघ्र पूरा करने को कहा गया। छात्रावास में पी एस सी कोचिंग व कंप्यूटर कोचिंग की सुविधा दिलाये जाने की मांग भी की गई।

17 अप्रैल 2008 -को रायपुर में कलार समाज के बैठक में शामिल होकर संगठन में जोरे देने व पिछड़ा वर्ग के लिये शासन द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया गया।

03 मई 2008 को माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में कलार महासभा द्वारा रायपुर के सप्रे शाला मैदान में आयोजित कलार महासम्मेलन में भाग लिया। तथा समाज को संगठित होने का आह्वान किया।

20 मई 2008 - को खैरागढ़ प्रवास किया तथा पिछड़ा वर्ग के लोगों से संपर्क कर उनके समस्याओं को सुना। 22 मई 2008 अभनपुर, फिंगेश्वर का भ्रमण किया गया तथा विभिन्न सामाजिक संगठन से संपर्क किया। 24 मई 2008 को राजनांदगांव जिला के छुरिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सांगली में कलार समाज के बैठक में शामिल हुआ जिसमें क्षेत्रीय विधायक श्री राजिंदर सिंह भाटिया से संपर्क किया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में **25 व 26** मई को शासन द्वारा चलाये जा रहे विकास यात्रा में क्रमशः बालोद, दल्ली राजहरा व डौंडीलोहारा , देवरी में शामिल हुआ। **27 मई 2008** -की सुबह 10 बजे बिलासपुर जिला के अंतर्गत लोरमी में स्थित विश्रामगृह में प्रेसवार्ता में पत्रकारों से चर्चा किया जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग गठन के उद्देश्यों के बारे में बताया तथा आयोग द्वारा छ.ग. शासन को भेजे गये प्रस्तावों का उल्लेख किया पिछड़ा वर्ग के प्रमुख

सामाजिक व्यक्तियों से संपर्क किया। तथा ग्राम अखरार के सामाजिक बैठक में भाग लिया।

31 मई 2008 -को निवास स्थल डौंडीलोहारा से धमतरी के लिये प्रस्थान तथा धमतरी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में भाग लिया जिसमें आयोग के उद्देश्यों में प्रकाश डालते क्रीमीलेयर को बढ़ाने संबंधित आयोग के मंशा से पत्रकारों को अवगत कराया।

10 जून 2008 -को डौंडीलोहारा से छिंदवाड़ा गया वहां छिंदवाड़ा में विश्राम गृह में पिछड़े वर्गों के लोगों से संपर्क किया तथा वहां बैतुल भ्रमण किया तथा बालाघाट होकर निवास डौंडीलोहारा वापस।

18 जून 2008 -को कांकेर जिला के अंतर्गत विकास खंड नरहरपुर में पिछड़े वर्गों के सामाजिक पदाधिकारियों से संपर्क किया तथा प्रेसवार्ता में आयोग के कार्यों का उल्लेख किया। **21 जून 2008** निवास डौंडीलोहारा से राजनांदगांव रवाना वहां विश्राम गृह में आयोजित प्रेसवार्ता में आयोग के कार्यों का उल्लेख करने के साथ माननीय नारायण चंदेल जी के दिल्ली प्रवास तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष रखे प्रस्ताव जिसमें क्रीमीलेयरन की दायरा भी 5 लाख किये जाने का भी उल्लेख किया गया जिसे राष्ट्रीय आयोग ने स्वीकार किया है। इस बात पर पत्रकारों एवं उपस्थित पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों द्वारा खुशी जाहिर किया गया। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों से पिछड़ा वर्गों के उत्थान के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

24 जून 2008 -को दुर्ग जिला के अंतर्गत माननीय श्री कृष्ण कुमार बांधी मंत्री छ.ग. शासन के नेतृत्व में चल रहे विकास यात्रा ग्राम केंवट नवागांव, धीना, फरफोड में शामिल हुआ। **25 जून 2008** को रायपुर में माना विमानतल में राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण का अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुआ तथा दिनांक 26 जून 2008 को माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन, मुख्य सचिव छ.ग.शासन , महामहिम राज्यपाल महोदय से सौजन्य मुलाकात की।

13 जुलाई 2008 -को रायपुर में डोंगरगढ़ के लिये प्रस्थान व पहुंचने के बाद मां बम्बलेश्वरी का दर्शन पश्चात दोपहर 2 बजे विश्राम गृह में पिछड़ा वर्गों के सामाजिक पदाधिकारी जिसमें प्रमुख रूप से यादव समाज, साहू समाज, पनिका समाज, कुम्हार समाज, सोनार समाज, कोष्टा समाज के पदाधिकारी शामिल थे उनके द्वारा प्रमुख रूप से स्थानीय जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाईयों का उल्लेख किया। उन्हें 1950 का मिशल बंदोबस्त का अभिलेख मंगाया जाता है समय निर्धारण नहीं रहता इस पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1950 का मिशल की आवश्यकता पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के लिये नहीं है। 1984 के भू अभिलेख की सत्यापित प्रतिलिपि / पिता के 1984 के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। इस संबंध में वहां पर उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री महिलांग ने भी इस तथ्य को सामाजिक पदाधिकारियों को समझाया। पिछड़ा वर्ग के सामाजिक पदाधिकारियों द्वारा बहुत से राज्य में चल रहे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के योजनाओं के भांति पिछड़े वर्गों के लिये योजना चलायी जाने पर जोर दिया। **दिनांक 19 जुलाई 2008** को जिला कांकेर का दौरा किंया गया जिसमें समाज प्रमुखों तथा अन्य पिछड़े वगों के पदाधिकारियों से भेंट वार्ता एवं प्रेस वार्ता कार्यक्रम में पत्रकारों से रूबरू हुआ जहां पर आयोग द्वारा पारित प्रस्ताव एवं आगामी बैठक की जानकारी दी गई।

चूंकि अभी कार्यभार ग्रहण किये कुछ समय हुआ इस अंतराल में पिछड़े वर्गों के लिये किये गये कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं भविष्य में भी इन लोगों के लिये हित प्रहरी के रूप में सदैव कार्य करता रहूंगा।

(देवेन्द्र जायसवाल)

मुझे भी कुछ कहना है

- डॉ. गणेश कौशिक

टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन समूह के राष्ट्रीय समूह के राष्ट्रीय दैनिक नवभारत टाइम्स में मुख्य उपसंपादक के पद से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य का कार्यभारत मैने एक चुनौती के रूप में यह मानकर संभाला कि इसी बहाने समाज के एक बड़े तबके से संपर्क और उसकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। 3 मार्च 2008 को मैने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद लगभग प्रत्येक कार्यदिवस पर कार्यालय जाकर आयोग के कामकाज और कार्य पद्धति को समझा। मेरे समक्ष पिछड़े वर्ग के लोगों से संबंधित अनेक फाईलें प्रस्तुत की गई। उन पर मैने नियमानुसार उचित टिप्पणी और कार्यवाही अंकित की और इन फाईलों को विभिन्न पक्षों को अग्रसारित कराया। इन पक्षों की अनुकूल प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई जिनसे मुझे ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिली और मेरे हौसले बुलंद हुए। इस दौरान विभिन्न प्रकार के मामले, विवाद, प्रकरण और शिकायतें लेकर आने वाले लोगों से आमना- सामना हुआ और उनसे नए नए अनुभव प्राप्त हुए।

शुरू में मैंने अपना ध्यान दौरों के बजाय कार्यालय में आने वाले प्रकरणों के उचित समाधान की दिशा में केंद्रित किया। अनेक प्रकरण निपराए भी गए। मैंने समाज के विभिन्न वर्गों खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों से उनके क्षेत्रों में जाकर रूबरू होने के लिए दौरे भी किए। मैं मुख्य रूप से भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, सहसपुर लोहारा, पथरिया, बिलासपुर, सिमगा, साजा, बेमेतरा, धमधा, महासमुंद आदि क्षेत्रों में गया और पिछड़ा वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिये लोगों से सुझाव मांगे। इस दौरान मैंने लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और नौकरी संबंधी जानकारी ली। अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से कवर्धा में 18 जून 2008 को एक सम्मेलन का आयोजन कराया। जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह बतौर मुख्य अतिथि और मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद था। सम्मेलन में पिछड़ों की समस्याओं और हालत पर खुली चर्चा हुई और उन्हें हल करने के उपाय सुझाव गए। सम्मेलन में पिछड़े वर्ग के नेता और पूर्व विधायक श्री धरम कौशिक भी मौजूद थे।

इससे पहले 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आयोग के सदस्यों को अलग- अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये भेजे जाने का निर्णय लिया गया। मुझे कबीरधाम जिले के मुख्यालय कवर्धा जाने का अवसर मिला। इस दौरान हुए कार्यक्रमों में लोगों ने भारी उत्साह और जोश से भाग लिया और निचले तबके के लोगों को उठाने के लिए वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मैंने कवर्धा स्थित शासन के पिछड़ा वर्ग छात्रावास का भी मुआयना किया और यह जरूरत महसूस की कि छात्रावास में सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।

मेरा यह स्पष्ट मत है कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को इंजीनियरिंग , मेडिकल, प्रबंधन और अन्य शिक्षण संस्थाओं के लिये होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी ही व्यवस्था केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) और राज्य लोक सेवा आयोग (स्टेट पी.एस.पी.) की परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी होनी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और

परीक्षार्थियों के समान पिछड़े वर्ग के छात्र भी विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में आसानी से प्रवेश पा सकें और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की नौकरियों में उन्हें भी सेवा का अवसर सुलभ हो सके। जून25 , 2008 से राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश का चार दिवसीय दौरा किया। इस दौरान छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग काफी सक्रिय रहा और उसने आरक्षण से वंचित वर्गों के हितों के लिये महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर समाज के अन्य वर्गों के विचार जानने का भी सौभाग्य मिला।

आयोग में लगभग पांच माह के कार्यकाल में नित नए अनुभव हुए और ऐसा लगा कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आयोग और राज्य शासन तथा केंद्र सरकार को और बहुत कुछ करना बाकी है। मैं आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों , सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत आभारी और कृतज्ञ हूं कि उन्होने मुझे अपने कर्तव्य निर्वाहं में भरपूर सहयोग किया।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आयोग अपने अब तक के कामकाज का लेखा जोखा एक प्रतिवेदन के रूप में पेश करने जा रहा है। मेरा मानना है कि इस प्रतिवेदन के माध्यम से आयोग की सही तस्वीर लोगों के सामने आएगी और वे अपने अधिकारों, उन्नति और विकास के लिये और अधिक जागरूक होगे।

इतिश्री।

डॉ. गणेश सिंह कौशिक

सदस्य

कुछ इस तरह अनुभव किया मैंने

– नंद कुमार साहू

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में मेरा नियुक्ति दिनांक 28.02.2008 को हुई आदेश के पालन में मैंने दिनांक 10.03.2008 को पदभार ग्रहण करते हुए मैंने कार्य पूरी तन्मयता के साथ निपटाने की शपथ ली दिनांक 11.03.08 को की गई शपथ के उपरांत छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक आवेदक मेरे समक्ष अपनी समस्याये लेकर उपस्थित हुए जिस पर मैंने अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी स्थगित करते हुए समाधान की प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया यह मेरे लिए एक ऐसा अनुभव है जिस कार्य से मुझे संतुष्टि मिलती है। मैंने कार्य प्रणाली एवं व्यापक रचना इस प्रकार बनायी कि समाज के प्रत्येक स्तर के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उनके समस्याओं के प्रति जागरूकता का आभास कर सकूं।

मैंने कार्यालयीन आवेदनों पर प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए छ.ग. राज्य के अनेक जिलों एवं क्षेत्रों का भ्रमण किया सर्वप्रथम मैंने दुर्ग जिले के बालोद तहसील में साहू समाज के सम्मेलन में उपस्थिति होकर अन्य पिछड़ा वर्ग के अपने हितों के संबंध में जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित किया। मार्च में ही मुझे धमतरी जिले में सामाजिक सम्मेलन में अपनों से हार्दिक बधाई प्राप्त हुई अप्रैल माह में मैंने कोण्डागांव भ्रमण किया। कुन्बी जाति के व्यक्तियों की समस्याओं को सुना एवं इस हेतु मात्रा की त्रुटि दूर करने हेतु बैठक में प्रस्ताव रखा।

14 अप्रैल, डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आयोग की ओर से मैंने रायपुर पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास का भ्रमण किया एवं वहां की छात्राओं से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुआ। तदउपरांत आयोग में पोस्ट मैट्रिक स्तर की ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति वृद्धि का प्रस्ताव आयोग की बैठक से पारित कर शासन को भेजा गया माह जून में बलौदा बाजार ग्राम सांकरी में पिछड़ा वर्गों के समस्याओं से सम्बन्धित परामर्श के साथ पिछड़ा वर्ग के समाज प्रमुखों से भेंट की।

25, जून 2008 से राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश का चार दिवसीय दौरा किया। इस दौरान छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग काफी सक्रिय रहा और उसने आरक्षण से वंचित वर्गों के हितों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर समाज के अन्य वर्गों के विचार जानने का भी सौभाग्य मिला। 25 जून से 28 जून तक मेरी भूमिका सक्रिय रहीं मैंने नवगठित राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर छ.ग. में जनसुनवाई में उपस्थित राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव से आर्थिक आधार का निर्धारण हेतु चर्चा करते हुए सुझाव भी दिया की आर्थिक आधार एक ऐसा माप दण्ड है जो स्थिर नहीं रहता उन पर संवेदनशीलता से इस पर विचार कर निर्णय किया जाए।

मलार, मौवार जाति के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच हेतु मैंने जशपुर, पत्थलगांव, रायगढ़, कुनकुरी, मनौरा, इत्यादि का भ्रमण भी किया एवं आयोग में अनुशंसा हेतु लिखा। आयोग के माध्यम से राज्य सरकार को अनेक योजनाओं को अन्य पिछड़ा वर्ग के हितार्थ चालाने का सुझाव दिया। जिसका लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को प्राप्त हो रहा हैं। पांच माह के छोटे से अन्तराल में पिछड़े वर्गो के लिए किए गये कार्य से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूँ भविष्य में भी इन लोगों के लिए हित प्रहरी के रूप में सदैव कार्य करता रहूँगा। मुझे इस बात का हर्ष है कि छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने शैशवकाल में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है एवं गौरव का विषय यह है कि आयोग ने अपना एक वर्ष पूर्ण कर प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

(नंद कुमार साहू)

अपनी भागीदारी और मेरी जिम्मेदारी

-प्रहलाद रजक

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग का गठन जनवरी 2007 में होने के उपरान्त दो सदस्यीय आयोग कार्यरत था। शासन द्वारा फरवरी 2008 में पांच अन्य सदस्यों में मेरी नियुक्ति छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में हुई है। इस आदेश के पालन में दिनांक 11/03/08 को कार्यभार ग्रहण किया।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत दिनांक 28/03/08 को आयोग की प्रथम बैठक में आयोग की कार्यप्रणाली व दायित्व से परिचित होने के उपरांत , मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित संवर्धन हेतु अपनी विकास यात्रा विभिन्न जिलों में प्रारंभ की, इसी सिलसिले में मैंने दिनांक 05/04/2008 को बिलासपुर जिले का सेलर ग्राम गया था। जहां मैंने हलवाई समाज की सुनवाई की तथा उन्हें अन्य शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ पाया। (प्रतिवेदन संलग्न हैं) जिस पर सदस्य के रूप में मेरी कार्यवाही का प्रतिवेदन आयोग में प्रस्तुत किया गया।

इसी क्रम में मेरे द्वारा दिनांक 13,14 अप्रैल 2008 को बलौदा बाजार, रायगढ़ दो दिवसीय दौरा किया गया था। जहां मैंने केशरवारी समाज के लोगों से मिला और उनके शैक्षणिक व सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। एवं डॉ. बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह में शामिल होने बाबत छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अपने दायित्व का निर्वहन किया। मैं रायगढ़ के छात्रावास में उपस्थित हुआ एवं छात्र/छात्राओं की समस्याओं व मांगों से रूबरू हुआ।

मैंने दिनांक 29/03/08 को बालोद का दौरा किया जहां मैंने जोगीनाथ जाति के लोगों से मिला और उनके शैक्षणिक , आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों की जानकारी लिया। उनके शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति अन्य समाज से काफी निम्न हैं।

इसी क्रम में मैंने 22/04/2008 को गौरेला, पेण्ड्रा का दो दिवसीय भ्रमण किया जहां मैंने केसरवानी समाज के जनप्रतिनिधियों से भेंट की तथा उनके आर्थिक, सामाजिक , शैक्षणिक स्थिति का अवलोकन किया।

मैंने दिनांक 11/05/08 को नवागढ़ जिला दुर्ग में पिछड़ा वर्ग समाज के व्यक्तियों द्वारा आयोजित बैठक कार्यक्रम में शामिल हुआ। एवं बैठक में उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक बिंदुओं में चर्चा हुई।

इसी क्रम में दिनांक 16/05/08 को कवर्धा में पिछड़ा वर्ग के समाज प्रमुखों से भेंट की एवं सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा किया गया, जिसमें बालक, बालिका शिक्षा को विशेष रूप से अनिवार्य करने का समाज प्रमुखों के द्वारा निर्णय लिया गया।

इसी क्रम में दिनांक 30/03-2008 को राजिम जिला रायपुर में पिछड़ा वर्ग की जन समस्या कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। जिसमें पिछड़ा वर्ग के आर्थिक समस्या पर बिन्दुवार चर्चा किया गया।

मेरे द्वारा सतत पिछड़े वर्गों के हितार्थ कार्य योजनाओं पर हितप्रहरी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाया जा रहा है, पिछड़े वर्गों की सेवाओं हेतु अपनी जनभागीदारी के प्रति मैं सदैव सजग हूं और भविष्य में भी रहूंगा।

प्रहलाद रजक

राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का छत्तीसगढ़ में कार्य।

राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार नई दिल्ली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) दिनांक 25.06.08 से 28.06.08 तक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रवास पर थे प्रवास के दौरान राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जाति (अनारक्षित वर्ग) के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने हेतु जनसुनवाई की गई। राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग अपना अभिमत केन्द्र सरकार को सौपेंगे, जिसके आधार पर शासकीय नियुक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा। जो जातिया आरक्षण के आर्थिक मापदण्ड हेतु विचार/सुझाव प्रस्तुत करना चाहती थी उनकी सुनवाई राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा समाज प्रमुख/सामाजिक संगठन एवं व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 27.06.08 को संचालनालय, आदिवासी विकास (पं. रविशंकर वि.वि. परिसर) के सभागृह में किया गया।

प्रवास के दौरान राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग महामहिम राज्यपाल महोदय, मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन तथा संबधित मन्त्रियों, मुख्य सचिव एवं संबधित सचिव के साथ भेंट/बैठक करके छत्तीसगढ़ शासन से उक्त विषय पर विचार विमर्श कर शासन का अभिमत लिया गया।

अपरान्ह 3:00 बजे प्रेस को संबोधित किया गया दिनांक 28.06.08 पूर्वान्ह में महासमुन्द जिला के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ इस दल के द्वारा भेंट किया गया।

राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के दल में आयोग के अध्यक्ष, मेजर जनरल (सेवानिवृत) श्री एस.आर. सिन्हों सदस्य, श्री नरेन्द्र कुमार सचिव, श्री महेन्द्र सिंह एवं अनुसंधान अधिकारी श्री राम जी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त समाज प्रमुखों/संगठन प्रमुखों को आर्थिक आधार पर आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर अपनी बात राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष रखने हेतु छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग ने कार्य किया।
राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत वर्ग के सभी राज्यों का भ्रमण कर राज्यों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जातियों (उच्च वर्ग) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को आरक्षण के लिए प्रावधान करना हैं। इसी क्रम में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को आरक्षण व्यवस्था लागू करने के पहले छत्तीसगढ़ का भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार किया गया। रिपोर्ट के आधार पर अलग–अलग राज्यों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान किया जावेगा। उपरोक्त कार्यो में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को समन्वय का उत्तरदायित्व दिया गया था, जिस पर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री मान. श्री राजेश मूणत जी नवनियुक्त सदस्यों के पदभार ग्रहण के अवसर पर

मरार, माली, कुशवाहा, कोईरी, शाक्य (शाकम्भरी) सम्मेलन शाकरदाहरा डोंगरगांव में म.प्र. पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री कुशवाहा जी एवं श्रीमती वीणा देवी सिंह

नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यालयीन परिवार